दैनिक नव प्रदेश
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
प्रदेश के साथ पूरा देश...
www.navpradesh.com
रायपुर, शुक्रवार 8 जनवरी 2021, कृष्ण पक्ष-नवमी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-305 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

कहते हैं न कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही चुनाव हार गए हैं लेकिन उनका मन हार मानने को तैयार नहीं है। वे खुद को विजेता मान कर चल रहे हैं। नतीजतन उनके इशारे पर अमेरिका में बखेड़ा खड़ा हो गया है। ट्रंप समर्थक उग्र हो गए हैं और जमकर बवाल काटा है। बैलेट में हार गए तो बुलेट के बल पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश बताने वाले अमेरिका में लोकतंत्र का गला घोंटने की यह कोशिश वाकई शर्मनाक है।

केंद्र कर रहा बारगेनिंग, राज्य ड्राई रन में व्यस्त और रायपुर की सारडा एनर्जी में दो-दो हजार में शुरू हो गई वैक्सीन की बुकिंग

हेमंत धोटे

रायपुर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन का भाव तय करने के लिए इसे बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ बारगेनिंग में लगी हुई है। वहीं राज्य ड्राई रन में व्यस्त है। यहां तक कि भारत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए कोविन ऐप की लॉन्चिंग अभी होने को है। वहीं दूसरी ओर रायपुर की सिलथरा स्थित सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड (एसईएमएल) में इस कोविशील्ड वैक्सीन के लिए बुकिंग शुरू हो गई है, जो सिर्फ कंपनी के कर्मचारी व श्रमिक साथियों के लिए हैं। सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड की ओर से अपने पोर्टल पर इस बुकिंग ऑफर को अपलोड किया गया है। कोविशील्ड के वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा दो डोज तय किए गए हैं। लिहाजा एसईएमएल की ओर से अपने कर्मचारियों तथा उनके परिजन के लिए दिए गए बुकिंग ऑफर में भी दो डोज का जिक्र है। साथ ही इन दो डोज के लिए एक-एक हजार रुपए कीमत भी उल्लेखित की गई है। पहले ओओ पहले पाओ का भी जिक्र है। बुकिंग के बाद छह हफ्ते यानी डेढ़ माह में वैक्सीन लगने की बात कही गई है। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा

■ शेष पृष्ठ 6 पर

ये कैसी सुरक्षा

- एसईएमल ने कर्मचारियों व उनके परिजनों के लिए दिया ऑफर।
- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई कोविशील्ड का उल्लेख है पोर्टल पर अपलोड सूचना में।
- दो डोज के लिए एक-एक यानी दो हजार रुपए कीमत का जिक्र।
- किसी भी दुष्परिणाम की जिम्मेदारी कर्मियों को खुद लेनी होगी।
- बुकिंग बाद नाम वापसी भी नहीं, पहले आओ पहले पाओ का जिक्र।
- सीनीयर मैनेजर बोले- उद्देश्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अभी सिर्फ डाटा कलेक्शन।

यहां भी विरोधाभास

बुकिंग की अंतिम तिथि 6-1-2021 भले है, लेकिन बुकिंग (नोटिस की भाषा में और कंपनी के सीनियर मैनेजर की भाषा में डाटा कलेक्ट करने व नाम लिखने) की प्रक्रिया जारी है। सूचना को बुधवार 6 जनवरी को ही अपलोड किया गया है। वहीं कंपनी के डिप्टी मैनेजर दास, जिनका उक्त नोटिस में संपर्क अधिकारी के रूप में नाम दिया गया है, ने बताया कि करीब सात-आठ कर्मचारियों का पंजीयन हो चुका है। इसके आगे उन्होंने सीनियर मैनेजर लांजेवार से बात करने को कहा।

...जबकि ये कहता है बुकिंग संबंधी नोटिस

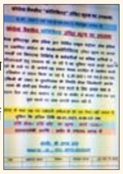

पोर्टल पर अपलोड नोटिस का शीर्षक है- 'कोरोना वैक्सीन उचित मूल्य पर उपलब्ध'। फिर आगे लिखा है - सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड उचित मूल्य पर सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के कर्मचारियों व श्रमिक साथियों व उनके परिवारजनों हेतु उपलब्ध की जा रही है। यह सुविधा पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर दी जाएगी। यह प्रयास केवल जनहित में सहयोग करने के दृष्टिकोण से प्रदान किया जा रहा है। ईओ एवं एसईएमएल () किसी भी प्रकार के दुष्परिणाम की स्थिति में यह जिम्मेदारी आपके स्वयं की होगी। इस वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए अपना नाम व विवरण दिए गए मेल या फोन नं. देवें या फॉर्मेट में भरकर भेजें। एक बार बुक करने पर नाम वापसी नहीं होगी। 18 साल से कम उम्र व गर्भवती महिलाओं को यह टीका नहीं लगता है।

- बुकिंग की अंतिम तिथि 6-1-2021, 4 बजे तक
- प्रति डोज प्रति शॉट का मूल्य : रुपए 1000
- प्राप्त करने की अवधि : ऑर्डर के पश्चात 6 सप्ताह में

सीनियर मैनेजर लांजेवार बोले - कलेक्ट कर रहे डाटा, अभी पता नहीं कैसे और कहां लगेगी

वैक्सीनेशन के बुकिंग ऑफर को लेकर एसईएमएल के सीनियर मैनेजर श्री लांजेवार से बात करने पर उन्होंने नवप्रदेश को बताया कि कंपनी अंतरराष्ट्रीय संस्था 'इंटरप्रेन्योरऑरगेनाइजेशन (ईओ)' के जरिए अपने कर्मचारियों व श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैक्सीनेशन कराएगी। ईओ का सीरम इंस्टीट्यूट के साथ करार हुआ है। वैक्सीन कब, कहां व कैसे लगेगी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर है कि जैसे कोविड को लेकर जो एसओपी हमें सरकार की ओर से भेजी गई थी, वैसे ही वैक्सीनेशन को लेकर जो भी गाइडलाइन होगा उसका पालन किया जाएगा। अभी हम सिर्फ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने कर्मचारी वैक्सीनेशन व उल्लेखित शुल्क के लिए तैयार हैं। लांजेवार ने कहा हमने बुधवार को ही उक्त नोटिस पोर्टल पर अपलोड किया है और कर्मचारी इसके बारे में पूछ परख कर रहे हैं। अभी तक कोई पंजीयन नहीं हुआ है। शुल्क कंपनी वहन करेगी या कर्मचारी इसको लेकर निर्णय अभी लंबित है।

खास- खबर

मुर्गों के थोक मूल्य में 20 रुपए की गिरावट

हल्द्वानी/ए.। (वार्ता) देश के विभिन्न राज्यों में बर्ड फ्लू संक्रमण के मामलों के बीच उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में अंडों के दाम और खपत में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली जबकि मुर्गा के थोक मूल्य में गुरुवार को 20 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई।

दूसरी ओर खुदरा अंडा कारोबारी बिक्री में आ रही बेहद मामूली गिरावट के लिए बारिश और खराब मौसम को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड(केएमओयू) बस स्टेशन के निकट थोक अंडा कारोबारी मो. आमिर ने बताया कि हल्द्वानी के प्रमुख थोक अंडा कारोबारी लगभग सोलह हजार क्रेट अंडों (4 लाख 80 हजार अंडा) की प्रतिदिन आपूर्ति करते हैं और गुरुवार को भी अंडा आपूर्ति पूर्व की भांति ही सामान्य बनी रही।

गंगाजल से बना स्प्रे देगा कोरोना से सुरक्षा

बीकानेर (वार्ता)। उत्तराखण्ड के गंगोत्री के गंगाजल से बनाया गया 'नोजल-स्प्रे' कोरोना पर प्रभावी सिद्ध हुआ है। यह विचार गंगा नदी के बचाव के लिए बड़ा कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता तथा न्यायमित्र अरुण कुमार गुप्ता ने व्यक्त किए हैं। वे गुरुवार को हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा 'क्या गंगाजल कोविड-19 पर रामबाण उपाय है? विषय पर ऑनलाइन आयोजित प्रथम 'सनातन संवाद' में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर द्वारा अनुमति मिलने पर शीघ्र ही देश की जनता के लिए वह बाजार में लाया जाएगा। उसका मूल्य 20 से 35 रुपए होने के कारण उसे गरीब व्यक्ति भी खरीद सकेगा तथा यह कोरोना के अन्य टीकों के समान हानिकारक और महंगा नहीं है। ऑनलाइन संवाद में अधिवक्ता गुप्ता ने कहा भारत के पवित्र गंगाजल में मिलनेवाला बैक्टेरियाफॉज जीवाणु अनेक रोगों को निर्माण करने वाले विषाणुओं को मारता है।

वाशिंगटन हिंसा में चार मृत, ओबामा ने ट्रंप पर लगाया उकसाने का आरोप

वाशिंगटन/ए.। अमेरिका के वाशिंगटन में बुधवार को प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कम से कम चार लोगों की मौत हो गयी। स्थानीय पुलिस प्रमुख राबर्ट कोन्टी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान घायल एक महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां भरसक प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। इसके अलावा राजधानी इमारत के आसपास के स्थानों पर भड़की हिंसा में एक अन्य महिला और दो पुरुषों की मौत हो गयी। कोन्टी ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन नवंबर के चुनाव परिणाम के बारे में लगातार झूठ बोला है और बुधवार को वाशिंगटन में राजधानी इमारत में हिंसा को उकसाया है। ओबामा ने एक बयान में कहा, 'इतिहास में इस हिंसक घटना

■ शेष पृष्ठ 6 पर

ट्रंप के संबोधन के बाद हुई थी हिंसा

उल्लेखनीय है कि ट्रंप के समर्थकों ने राजधानी इमारत पर हमला कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। यह हिंसक घटना उनके द्वारा व्हाइट हाउस के पास हजारों समर्थकों को संबोधित किये जाने के बाद हुयी।

मोदी ने हिंसा पर जतायी चिंता

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वाशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को कहा कि सत्ता का हस्तांतरण व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से होना लाजिमी है। अमेरिका में हाल में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन विजयी हुए है और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई है। वहां इसी माह सत्ता का हस्तांतरण होना है। सत्ता बदलाव से पहले बुधवार को वाशिंगटन में हुई हिंसा में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि पुलिस के साथ झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं।

राजिम सिर्फ शहर नहीं, छग की संस्कृति का प्रतीक भी : भूपेश

गरियाबंद/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धर्म-नगरी राजिम केवल एक शहर नहीं है, बल्कि यह पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यहां केवल तीन नदियों का ही संगम नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक संगम भी होता है। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ ओडिशा, महाराष्ट्र के लोग भी राजिम पहुंचते हैं। यह बात बघेल ने गुरुवार को राजिम में साहू समाज द्वारा आयोजित भक्तिन महतारी राजिम दाई के जयंती महोत्सव में कही। उन्होंने कहा कि राजिम का सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। यह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि राजिम मेले को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नये मेला-स्थल के लिए 54 एकड़ जमीन का चिन्हांकन कर लिया गया है। इसमें कुछ निजी जमीन भी शामिल है, जिसके बारे में भू-स्वामी किसानों से सहमति ले ली गई है।

■ शेष पृष्ठ 6 पर

ये अहम घोषणाएं भी की सीएम ने

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि फिंगेश्वर में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण भक्तिन महतारी राजिम दाई के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने राजिम में निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति देने तथा राजिम माता शोध संस्थान के लिए पांच एकड़ जमीन देने की भी घोषणा की।

शासकीय कर्मियों को इसी माह वार्षिक वेतन वृद्धि तथा एरियर्स

रायपुर (नवप्रदेश)। छत्तीसगढ़ के शासकीय-अधिकारी एवं कर्मचारियों को नये साल जनवरी माह में ही वार्षिक वेतन वृद्धि तथा एरियर्स का भुगतान किया जाएगा। राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं रोकी गई है, तथा इसका भुगतान जनवरी माह से किया जाना प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुमोदन के पश्चात वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के समस्त विभागों को शासकीय-अधिकारी एवं कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई 2020 से ही स्वीकृत करते हुए इसका भुगतान जनवरी 2021 के नियमित वेतन से किए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही 1 जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक की देय एरियर्स राशि का भुगतान जनवरी 2021 में किया जाएगा। इसी प्रकार 1 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी 2021 में स्वीकृत करते हुए भुगतान जुलाई 2021 के नियमित वेतन से किया जाएगा तथा 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक की देय एरियर्स राशि का भुगतान जुलाई 2021 में किया जाएगा। गौरतलब है कि इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समस्त विभागों को 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 की वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2020

■ शेष पृष्ठ 6 पर

वित्त विभाग ने किया स्पष्ट कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं रोकी गई है

विद्याचरण शुक्ल की पत्नी का निधन, सीएम ने जताया दु:ख

रायपुर/नवप्रदेश। पूर्व विदेश मंत्री तथा शहीद कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल की पत्नी सरला देवी का गुरुवार को निधन हो गया। वे 90वर्ष की थीं तथा पिछले कुछ दिन से बीमार चल रही थीं। दिल्ली के एक अस्पताल में में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। वर्ष 2013 में सुकमा के झीरम घाटी हमले में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुए हमले में शहीद हो गए थे।

सरला देवी के निधन के बाद उनके परिवार में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पूर्व केन्द्रीय मंत्री शहीद पंडित विद्याचरण शुक्ल की पत्नी सरला देवी शुक्ल के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है। बघेल ने उनके शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

आज कुछ स्थानों पर बारिश, 10 के बाद बढ़ेगी ठंड

- गिर सकता है न्यूनतम तापमान

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर/नई दिल्ली। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि ने ठंड बढ़ा दी है। इस बदलाव का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। रायपुर मौसम केंद्र के वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक, 10 जनवरी के बाद प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है क्योंकि न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। जबकि शुक्रवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इस बारिश को 10 जनवरी तक प्रदेश का मौसम कमोबेश गुरुवार वाली स्थिति में ही बना रहेगा। लेकिन इसके बाद ठंड बढ़ने के आसार हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा भी नजर आ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है।

जम्मू के 9 जिलों में तूफान का अलर्ट

वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में बर्फ के तूफान का अलर्ट जारी किया है और लोगों को घरों से नहीं निकलने की सलाह दी है। देश में अलग-अलग कई राज्यों में सर्दी का सितम बढ़ रहा है और खासकर उत्तर भारत में ठंड अपना कहर दिखा रही है। इसके अलावा लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में भी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।

अच्छी खबर — केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के सलाहकार डॉ प्रदीप हलदर ने पांच जनवरी को लिखा पत्र

केंद्र से राज्यों को जल्द मिल सकती है वैक्सीन की पहली खेप

नई दिल्ली(वार्ता)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन्हें कोविड-19 टीके की पहली खेप जल्दी ही मिल सकती है और इसे प्राप्त करने के लिए वे तैयार रहें। मंत्रालय ने एक पत्र में कहा कि आपूर्तिकर्ता टीके की आपूर्ति 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रों पर करेगा। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। बाकी 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को टीका उनके संबंधित सरकारी चिकित्सा भंडारण डिपो से मिलेगा। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दमन और नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं।

राज्यों को लिखे पत्र में ये कहा

स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) के सलाहकार डॉ प्रदीप हलदर ने पांच जनवरी के पत्र में कहा, 'सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 टीके की पहली खेप जल्द मिल सकती है।' उन्होंने कहा, इस संबंध में, आपसे आग्रह किया जाता है कि टीके की आपूर्ति को प्राप्त करने के लिए पहले से ही तैयारी रखें। पत्र में कहा गया है कि टीके का जिलों में वितरण पंजीकृत लाभार्थियों के मुताबिक होगा, जिसके लिए जल्दी अलग से एक पत्र भेजा जाएगा। गौरतलब है कि देश के औषधि नियंत्रक ने रविवार को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की 'कोविशील्ड' और देश में ही विकसित की गई भारत बायोटेक कंपनी की 'कोवैक्सीन' को आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी।

आज और एक पूर्वाभ्यास

मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि वह तीन जनवरी को टीके के आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के 10 दिन में टीका उपलब्ध कराने के लिए तैयार है लेकिन टीका किस तारीख को लाया जाएगा इसका फैसला सरकार करेगी। इस बीच, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आठ जनवरी को टीकाकरण का पूर्वाभ्यास होगा ताकि प्रत्येक जिले में टीके की आपूर्ति के लिए प्रभावी योजना और प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके।

मोदी सरकार को जनता की फिक्र नहीं : सोनिया

नई दिल्ली (वार्ता)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल तथा रसोई गैस के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी की कड़ी आलोचना करते हुए गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार को जनता की फिक्र नहीं है और इसीलिए किसान उसकी नीतियों से त्रस्त होकर सड़को पर आंदोलन कर रहे हैं। गांधी ने गुरुवार यहां जारी बयान में जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल की बढ़ी दरें वापस लेने और कड़ाके की सर्दी में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे लाखों किसानों का आंदोलन समाप्त करने के लिए कृषि संबंधी तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। एक ओर अन्नदाता 44 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी जायज़ मांगों के समर्थन में खड़ा है तो दूसरी तरफनिरंकुश, संवेदनहीन और निष्ठुर भाजपा सरकार ग़रीब किसान तथा मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने में जुटी है।

न्यूज गैलरी

वार्षिक आमसभा

दुर्ग। श्री बलराम कृषि उत्पाद एवं विपणन को.ऑपरेटिव सोसायटी मर्या. दुर्ग सबको की 9 जनवरी सुबह 11 बजे संस्था कार्यालय मुख्य डाकघर के सामने जीई रोड में साधारण वार्षिक आमसभा का आयोजन किया है। आमसभा में अविभाजित दुर्ग जिले के सबको संचालक मंडल एवं प्रत्यायुक्त सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। आमसभा में कोरोना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

अधिकारी प्रत्योजित

दुर्ग। निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन 8 से 12 जनवरी तक स्वास्थ्य उपचार हेतु आकस्मिक अवकाश पर रहेगें। उक्त अवधि में निगम आयुक्त का चालू प्रभार का निर्वहन करने निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (4) के शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सुशील बाबर कार्यपालन अभियंता को प्रभार दिया है। उनका अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

12 को कौशल परीक्षा

दुर्ग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पद पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा जिला प्रशिक्षण केंद्र आईपीपी 6 पांच बिल्डिंग में आयोजित किया गया है। टेक असिस्टेंट आप्टोमेट्रिस्ट, आडियोमेट्रिक, साईकोलॉजिस्ट क्लीनिकल, प्रोग्राम एसोसिएट एवं ब्लाक मैनेजर एकाउंट हेतु 12 व ओटी टेक्निशियन के लिए 13 को कौशल परीक्षा आयोजित किया है।

किसानों के मुद्दों पर 13 को भाजपा करेगी विस स्तरीय प्रदर्शन

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। प्रदेश भाजपा ने भूपेश बघेल सरकार पर किसानों के साथ वादाखिलाफी, धान खरीदी केन्द्रों में अव्यवस्था व रकबा कटौती करने का आरोप लगाया है। किसानों से जुड़े इन मुद्दो को लेकर भाजपा द्वारा 13 जनवरी को विधानसभा स्तरीय व 22 जनवरी को जिला स्तर पर धरना.प्रदर्शन कर राज्य सरकार के नीतियों के खिलाफ विरोध जताया जाएगा। प्रदर्शन उपरांत राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। धरना.प्रदर्शन में भाजपा ने किसानों के बड़ी संख्या में शामिल होने का दावा भी किया है। यह बातें दुर्ग जिला भाजपा संगठन के प्रभारी व छत्तीसगढ़ भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य पुरेन्दर मिश्रा ने जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा में कही। इस दौरान सांसद विजय बघेल, जिला भाजपा अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार तमेर, महामंत्री ललित चंद्राकर, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, जिला भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष रत्नेश चंद्राकर, जागेश्वर साहू, देवेन्द्र सिंह चंदेल, संतोष सोनी, संजय सिंह, रजा खोखर, डॉ. सुनील साहू मौजूद थे। श्री मिश्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के भोले.भाले किसानों को गुमराह कर राज्य सरकार सत्ता में बैठी है। अब उन्ही किसानों के साथ छलकर राज्य सरकार द्वारा उन्हे परेशान किया जा रहा है। धान खरीदी केन्द्रों में अव्यवस्था है। किसानों को बारदाने उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे है। रकबा में कटौती जैसे समस्याओं से किसान जूझ रहे है। जिससे किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। राज्य सरकार का यह रवैय्या किसानों के साथ बड़ा अन्याय है। जिसके खिलाफ प्रदेश भाजपा ने विधानसभा स्तरीय व जिला स्तर पर आंदोलन की रुपरेखा तैयार की है। सांसद विजय बघेल ने किसानों के आत्महत्या से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य सरकार के किसान विरोधी नीतियों की वजह से अब तक प्रदेश में 2 सौ किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं सामने आ चुकी है। दुर्ग जिले में गृहमंत्री के क्षेत्र में एक और अहिवारा क्षेत्र में एक किसान द्वारा आत्महत्या करने की घटना शामिल है। श्री बघेल ने बताया कि केन्द्र सरकार अपने कोटे का धान खरीदी करने के लिए तटस्त है।

कार्यों के निरीक्षण में पहुंचे ईडी

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। छग स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड क्षेत्र के कार्यपालक निदेषक संजय पटेल द्वारा भिलाई जोन विद्युत कार्यालय पहुंच कर वहाँ संचालित होने वाले कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके साथ अधीक्षण अभियंता एसआर बांधे एवं कार्यपालन अभियंता व्हीके डहरिया भी मौजूद रहे। उन्होंने जोन के अंतर्गत टीएंडडी लॉस को कम करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की एवं लॉस कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के निर्देष दिए। श्री पटेल ने मैदानी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में सर्वे करने, घर के अंदर लगे हुए मीटरों को बाहर लगाने एवं असामान्य ऊंचाई पर लगे मीटरों को आई लेवल पर शिफ्ट करने तथा सर्विस तार को विजिबल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं का मोबाइल नं दर्ज करने एवं सहीं रीडिंग दर्ज करने की हिदायत दी। कार्यपालक निदेषक द्वारा जोन के अंतर्गत आने वाले 11 केव्ही लाइनों की फीडरवार लाइन लॉस की जानकरी ली गई व इम्पोर्ट एवं एक्सपोर्ट पाइंट, डीटी टैगिंग, कन्ज्यूमर टैगिंग को पूर्ण करने व सहीं फीडर में टैग करने का निर्देष दिया गया ताकि फीडरवार सहीं वितरण हानि की गणना की जा सके। श्री पटेल द्वारा अधिक लॉस वाले 11 केव्ही फीडरों की सतत व नियमित मॉनिटरिंग करने निर्देष दिए।

महापौर परिषद की बैठक में 5 एजेंडों पर चर्चा

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। महापौर परिषद की बैठक महापौर देवेंद्र यादव के निर्देश पर परिषद सदस्य नीरज पाल की अध्यक्षता तथा उपायुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में महापौर कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में परिषद के सदस्यों और निगम प्रशासन के अधिकारी एवं सभी जोन आयुक्त उपस्थित थे! चर्चा के लिए 5 एजेंडों को प्रस्तुत किया गया। परिषद की बैठक में निगम के सस्ता मार्केट केम्प 02 में उच्चतम न्यायालय बिलासपुर द्वारा 01 जनवरी 2013 को पारित आदेश के परिपालन में शासन के पत्रानुसार भूखंड का रजिस्ट्री कराकर कब्जा देने के संबंध में, वार्ड 3 कोसानगर स्थित शहरी गोठान में निःशुल्क शेड निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान करने, कोसानगर स्थित शहरी गोठान में स्व. जमुना देवी की स्मृति में 1 लाख की दान राशि से शेड निर्माण कार्य की अनुमति, डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी उद्यान नेहरू नगर पूर्व के संचालन की अनुमति प्रदान करने हेतु तथा निगम क्षेत्रांतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कारित संविदाओं में निविदा दर की राशि कम प्राप्त होने से बचत हुई राशि से जोन 3 क्षेत्रांतर्गत वार्ड 49 सेक्टर 2 तालाब का सौंदर्यीकरण एवं उद्यान विकास कार्य किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रकरण पर परिषद द्वारा चर्चा की गई। गोठान में निःशुल्क शेड निर्माण कार्य के प्रकरण को परिषद ने पास किया।

ठगड़बांध सौंदर्यीकरण का नामकरण स्व. वोरा के नाम, एमआईसी में निर्णय

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। निगम द्वारा स्व. मोतीलाल वोरा के नाम से उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार देने के साथ ही उनके समाधि स्थल को विकसित करने और ठगड़बांध सौदर्यीकरण का कार्य पूरा होने पर स्व. वोरा के नाम से नामकरण करने और निगम का जलगृह शापिंग काम्लेक्स का नाम भी स्व. वोरा के नाम किये जाने पर महापौर परिषद ने विचार विमर्श कर प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। एमआईसी की बैठक में निगम आयुक्त, सभापति राजेश यादव के अलावा एमआईसी प्रभारी अब्दुल गनी, दीपक साहू, जयश्री जोशी, ऋषभ जैन, संजय कोहले, भोला महोबिया, मनदीप सिंह भाटिया, सत्यवती वर्मा, जमुना साहू, अनुप चंदानियॉ के साथ समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। महापौर एवं अध्यक्ष मेयरइन काउंसिल धीरज बाकलीवाल की अध्यक्षता में आज महापौर कक्ष में मेयरइन काउंसिल की बैठक संपन्न हुआ। बैठक में आज विभागों से प्राप्त 6 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा कर निर्णय लिया गया। वहीं अध्यक्ष की अनुमति से स्व. वोरा का शोक श्रद्धांजली सभा आयोजित करने के साथ मालवीय नगर चौक को स्व. वासुदेव चंद्राकर के नाम करने, शहर की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने विभिन्न खेलों के लिए महापौर ट्राफी का आयोजन करने का निर्णय पारित किया गया। इसके अलावा मकान बार कोडिंग नंबर लगाने के कार्य की स्वीकृति प्रदान किया गया।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट	पक्षकार का नाम श्रीमती गीता देवी	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202012100400535

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती गीता देवी पति श्री लल्लन प्रसाद निवासी रामनगर सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कोहका प.ह.न. 19 तह. व जिला दुर्ग	199/2	0.020 हें 2175 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 23.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-74/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700337

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री चन्द्रशेखर पिता स्व. नोहर लाल निवासी ग्राम कोहका तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 851/28 रकबा 0.006 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैकों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक खुमान सिंह देशमुख पिता स्व. दयालूराम देशमुख निवासी ग्राम दनिया तहसील गुण्डरदेही जिला बालोद के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 95/21, 100/13 रकबा कुल 0.018 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार राजेश्वरी देशमुख आ. दरबारी की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 21.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 06.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700358

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री बलराम सोनी पिता स्व. बैजनाथ सोनी निवासी ग्राम पोलसायपारा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1101/1/घ रकबा 0.004 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार बैजनाथ आ. लालचंद सोनी की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मोहितराम वर्मा पिता स्व. बैसाखु निवासी ग्राम डिपरापारा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 608/8 रकबा 0.0090 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार श्रीमती जैमुनबाई ध.प. बैसाखु की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 21.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 06.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पार्टनर संजय जैन पिता देवेन्द्र जैन निवासी ग्राम गांधी चौक जैन गली दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 80/298 रकबा 0.327 हे. भूमि को विक्रेता पार्टनर संतोष गोलछा पिता केवलचंद गोलछा अन्य 01 निवासी ग्राम मालवीय नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 05.01.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 21.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 05.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पार्टनर संजय जैन पिता देवेन्द्र जैन निवासी ग्राम गांधी चौक जैन गली दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 80/24 रकबा 0.079 हे. भूमि को विक्रेता पार्टनर संतोष गोलछा पिता केवलचंद गोलछा अन्य 01 निवासी ग्राम मालवीय नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 05.01.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 21.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 05.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700038

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका नंदनी साहू पति एलेश कुमार साहू निवासी ग्राम गणपति विहार कालोनी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 63/76 रकबा 1132 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रेता देवेन्द्र मध्यानी पिता खेमामल मध्यानी निवासी ग्राम सिंधी कालोनी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 21.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700036

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजकुमार बंछोर अन्य 01 पिता ज्ञानीलाल बंछोर निवासी ग्राम सिद्धार्थ नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 29/18 रकबा 1255.22 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रेता मोहम्मद अकरम खोखर वगै. पिता हाउन खोखर निवासी ग्राम तमेरपारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 08.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 27.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 04.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700042

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री शत्रुहन गुप्ता पिता स्व. पंचराम गुप्ता निवासी ग्राम नयापारा मिल चौक दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 29/39 रकबा 712.5 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रेता संतोष कुमार जायसवाल वगै. पिता शिवशंकर जायसवाल निवासी ग्राम वार्ड 1 नयापारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 30.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 27.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700041

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक धर्मेन्द्र चौहान पिता स्व. गौतम चौहान निवासी ग्राम नयापारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 29/39 रकबा 712.5 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रेता संतोष कुमार जायसवाल वगै. पिता शिवशंकर जायसवाल निवासी ग्राम वार्ड नं. 01 नयापारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 30.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 27.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400186

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सरिता देवांगन पति अनिल देवांगन निवासी भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम जामुल प.ह.न. 18 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 584/6 रकबा 0.008 हें/ 810 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400198

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका आशा मशीह पति अरविन्द मशीह निवासी भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम जामुल प.ह.न. 18 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 581/68 रकबा 0.011 हें/ 1100 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400185

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती आरती देवांगन पति भीमा देवांगन निवासी भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम जामुल प.ह.न. 18 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 584/5 रकबा 0.008 हें/ 810 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202101100400106

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सविता दहिया पति नरेश दहिया निवासी आर्यनगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम कसारीडीह प.ह.न. 11 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 594/12 रकबा 0.037 हें के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202101100400105

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सविता दहिया पति नरेश दहिया निवासी आर्यनगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम कसारीडीह प.ह.न. 11 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 594/11 रकबा 0.037 हें के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202101100400032

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती विमला साहू पति डागेन्द्र लाल निवासी दल्लीराजहरा जिला बालोद द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 344/12 रकबा 0.020 हें अर्थात 2024 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 01.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202101100400628

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती मंजू देवांगन पति पुरुषोत्तम लाल देवांगन निवासी कसारीडीह दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 284/48, 285/48 रकबा 0.0270 हें अर्थात 2880 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 30.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202101100400629

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती हेमलता साहू पति मोहनचन्द्र साहू निवासी रिसाली भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 97/9 रकबा 0.0130 हें अर्थात 1400 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 30.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 20210110040064

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती कौशिल्या देशलहरा पिता/पति दिलीप देशलहरा निवासी लक्ष्मीपारा जामुल द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम खेदारामा प.ह.न. 16 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 987/5 रकबा 0.02 हें अर्थात 2300 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 20210110040030

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक गोपाल आ. छगनलाल निवासी गंजपारा दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम कुथरेल प.ह.न. 37 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 318/1 रकबा 0.090 हें अर्थात 9687 वर्गफीट के व्यवसायिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202101100400771

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री शिवदयाल दिवाकर आ. लखनलाल दिवाकर निवासी म.न. 139/एफ रिसाली सेक्टर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 330/8 रकबा 0.02 हें अर्थात 2115 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा जिला बेमेतरा (छ.ग.)

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती जूली जैन पिता राजेश जैन निवासी ग्राम बीजा जिला बेमेतरा छ.ग. द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की भूमि ग्राम बीजा प.ह.न. 06 स्थित भूमि खसरा नंबर 252/2 रकबा 1.00 हें भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ व्यपवर्तित करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए है। जिसे संहिता की धारा 172 सहपठित धारा 5(2), (5) के तहत् व्यवपर्तित किया जाना है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति उजर-दावा हो तो दिनांक 02.12.2020 तक स्वतः अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में शाम 5.00 बजे तक दावा आपत्ति पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 15.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय के पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी साजा जिला बेमेतरा (छ.ग.)

आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री सुनील गोयल पिता स्व. श्री बी.डी. गोयल निवासी कादम्बरी नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा भूमिस्वामी स्व. उजजिन्दर सिंह आ. स्व. सुच्चा सिंह के नाम की भूमि मौजा ग्राम अरसनारा तह. व जिला दुर्ग स्थित खसरा नं. 347/2 रकबा 1.450 हे. भूमि 347/4 रकबा 0.140 हे. भूमि को क्रय करने का सौदा स्व. उलजिन्दर सिंह के वारिसान श्रीमती बलजीत कौर कण्डा पत्नि मनमीत पाल सिंह कण्डा एवं अमृतपाल सिंह कण्डा पुत्र निवासी संतराबाड़ी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग एवं खसरा नं. 347/3 रकबा 1.420 हे. जिसका भूमि स्वामी मनजीत सिंह कण्डा पिता सुच्चा सिंह के द्वारा विक्रय करने का लिखित करार मेरे पक्षकार के साथ दिनांक 04.01.2021 को कर लिया है और इस संदर्भ में विक्रय प्रतिफल की आंशिक राशि भी मेरे पक्षकार से प्राप्त कर लिया है। मेरा पक्षकार संविदा का पालन संविदा का मूल्य देकर रजिस्ट्री कराने के लिए तत्पर एवं तैयार है और इस संदर्भ मे पूरी व्यवस्था उसके पास है इसलिए आम जनता को यह सूचना दी जा रही है कि उक्त भूमि के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, निकाय, समिति, बैंक या किसी भी साहूकार का कोई लेना देना हक दावा उजर आपत्ति हो तो यह सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अंदर मे मेरे पक्षकार या मेरे समक्ष मय दस्तावेजी प्रमाण आपत्ति कर सकते है, पश्चात की गई आपत्ति मेरे पक्षकार को अमान्य होगी। समयअवधि समाप्ति पश्चात उक्त संपत्ति को मेरा पक्षकार पाक साफ संपत्ति मानकर विक्रय पंजीयन करायेगा।

स्थान - दुर्ग
दिनांक- 07.1.2021

मुहर — बी.आर. ताम्रकार, अधिवक्ता- जिला न्यायालय दुर्ग, मो. 9229468527

न्यूज गैलरी

विस अध्यक्ष ने सरला देवी शुक्ल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शहीद विद्याचरण शुक्ल की पत्नी श्रीमती सरला देवी शुक्ल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है । डॉ महंत ने कहा कि, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं की उनकी दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे और दुख की इस घड़ी को परिजनों को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

अलग-अलग जगह से दो बाइक चोरी,अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर। रायपुर में फिर दो बाईक चोरी हो जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार नीमपारा उरकुरा खमतराई निवासी परमेश्वर साहु 32 वर्ष ने खमतराई थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 26 नवंबर 2020 को कैप्स फुड इडिया प्रा.लिमिटेड कंपनी रावाभांठा के पास प्रार्थी की खड़ी एक्टीवा क्रमांक सीजी 04 एचके 4673 अनुमानित कीमत 30 हजार रुपये को किसी ने चोरी कर लिया। इसी तरह बीएसयूपी कालोनी सोनडोंगरी निवासी रामलाल कर्ष 48 वर्ष ने कबीर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी के घर के सामने खड़ी फैशन प्रो.मोटरसाइकिल 4 से 5 जनवरी के मध्य क्रमांक सीजी 04 एचवाय 2354 अनुमानित कीमत 16 हजार रुपये को किसी ने चोरी कर ली। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

अवैध शराब के साथ तीन गिरफ्तार 66 पौवा देशी शराब जब्त

रायपुर। अवैध शराब के साथ पुलिस ने मंदिरहसौद व सेजबहार में तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 66 पौवा देशी शराब जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवारा को अवैध शराब लेकर जाने की सूचना पर पुलिस ने ग्राम तुलसी मंदिरहसौद के पास विरोन्द्र बंजारे 26 वर्ष पिता दलुराम बंजारे एवं एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर उनके पास से 50 पौवा देशी शराब जब्त की है। इसी तरह सेजबहार में ग्राम खेली मोड के पास सूरज धृतलहरे 22 वर्ष पिता सुनील धृतलहरे के पास से 16 पौवा अवैध देशी शराब जब्त की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाही की गई है।

सरपंच प्रतिनिधि के साथ गाली-गलौच व मारपीट,आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर। सरपंच प्रतिनिधी को घर जाते समय रोककर गाली-गलौच कर मारपीट करने की रिपोर्ट सिविललाईन थाने में दर्ज की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार दोंदेकला विधानसभा रायपुर निवासी अरविन्द सिंह ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी सरपंच प्रतिनिधी है। 06 जनवरी को शाम 6.20 बजे आक्सीजोन खालसा स्कूल के पास घर जाते समय तीन से चार व्यक्तियों ने कार रोककर नेतागिरी करता है कहकर गाली-गलौचकर हाथ-मुक्का से मारकर चोट पहुंचाया। प्रार्थी ने संदेह जताया है 06 जनवरी को दोपहर सट्टा-पट्टी का विरोध कर दो लोगों को पकड़े थे। जिसे विधानसभा थाना पकड़कर ले गये थे। उनके द्वारा बताया गया था कि चार व्यक्ति अमित जांगड़े,कान्हा तिवारी,सूरज टण्डन,योगेश गेन्ड्रे के द्वारा सट्टा खिलाया जाता है,इन्ही लोगों ने मारपीट किया है।

किराना दुकान का ताला तोड़कर नगदी व किराना सामान चोरी,मामला दर्ज

रायपुर। किराना दुकान का ताला तोड़कर किराना सामान सहित नगदी रुपये चोरी कर लेने की रिपोर्ट भाटापारा सिटी में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार लालबहादुर शास्त्रीवार्ड भाटापारा बलौदाबाजार निवासी राकेश केशवानी 36 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी का किराना दुकान हटरीबाजार भाटापारा में है। 05 जनवरी को मंगलवार होने के चलते दुकान बंद था। किसी ने शटर उठाकर दुकान के अंदर रखा किराना सामान एवं गल्ले में रखा। सिक्का 6 से 7 हजार किसी ने चोरी कर लिया।

जिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक 8 को

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक शुक्रवार 8 जनवरी दोपहर 3 बजे भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में रखी गयी है। रायपुर जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि ये यह सरकार जब से बनी है तब से जनता की परेशानी में बढ़ोतरी हो गई है जनता के लिए यह कांग्रेस नहीं कहर बन चुकी है। जनता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने व निकट भविष्य में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है।

2500 धान का दाम, कर्जमाफी और 80 लाख टन धान खरीदी हर साल

रमन सिंह जिसे-जिसे असंभव कहते रहे कांग्रेस ने कर दिखाया : त्रिवेदी

नव प्रदेश संवादाता

रायपुर। भाजपा के किसान आंदोलन की घोषणा पर तंज कसते हुये प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा पहले यह तो छत्तीसगढ़ के किसानों को बतायें कि यह आंदोलन दिल्ली में मोदी सरकार के किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ है या फिर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए धान, मक्का, गन्ना उत्पादकों की दी जा रही प्रति एकड़ 10 हजार सहायता राशि के खिलाफ है क्योंकि भाजपा के नेता किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त राशि का सहायता देने का विरोध कर रहे। भाजपा मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे किसानों को समझाने में विफल हो चुकी है और षड़यंत्र कर किसानों के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। जिसने 3 लाख 50 हजार गठान जूट बोरी नहीं देकर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में विघ्न डालने की फिर से कोशिश की है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि रमन सिंह जो-जो असंभव कहते रहे कांग्रेस ने कर दिखाया। 2500 धान का दाम, कर्जमाफी और 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी। हर साल कांग्रेस सरकार ने कर दिखाया तो रमन सिंह और भाजपा के हाथों से तोते उड़ गये। रमन सिंह बौखलाहट में गरीब विरोधी, किसान विरोधी, छत्तीसगढ़ विरोधी कृत्य कर रहे है।

2013 के समय का ऐसे किया जिक्र

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों के पूर्व जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा किसानों से उनका धान 2000 रू. प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का वादा किया गया था। कांग्रेस को मिल रहे किसानों के समर्थन से घबराकर डॉ. रमन सिंह ने उसी समय 2100 रू. प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का संकल्प लिया था तथा प्रतिवर्ष 300 रू. प्रति क्विंटल बोनस भी देने का वादा किया था। 2013 में सरकार बनाने के बाद राज्य के किसानों को डॉ. रमन सिंह ने सिर्फ धोख दिया।

15 साल में सिंचाई के नाम पर 18 हजार करोड़ खर्च

उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 से 2018 के बीच 15 साल में राज्य में सिंचाई के साधनों के विकास के नाम पर रमन सिंह सरकार ने 18000 करोड़ रूपये खर्च किये गये किन्तु सिंचाई का वास्तविक में 25 हजार हेक्टेयर का ही हो पाया है। पूरी राशि कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी। राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई की ऐसी लूट खसोट कभी देखी सुनी नहीं गयी होगी। किसानों एवं कृषि के लिये सिंचाई का महत्व किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है।

किसानों के जख्मों पर नमक न छिड़कें

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि राज्य से केन्द्रीय पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल लिये जाने की लिखित सहमति के बाद भी मात्र 24 लाख टन चावल लेने का अनुमति राज्य के किसानों के साथ अन्याय है।

रमन सिंह ने ही केंद्र से 300 रुपए प्रोत्साहन राशि की मांगी थी अनुमति : त्रिवेदी

वर्ष 2017-18 में विधानसभा चुनाव निकट आने पर डॉ. रमन सिंह ने पुनः केन्द्र सरकार से कहा कि किसानों के हितों को देखते हुये उन्हें 300 रू. प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने की अनुमति दी जाये। यह राशि प्रोत्साहन राशि है, बोनस नहीं। केन्द्र सरकार ने रमन सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर प्रोत्साहन राशि दिये जाने की स्वीकृति दे दी।

ऋणमाफी को बताया था छलावा

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 2018 में विधानसभा चुनावों के पूर्व किसानों से कांग्रेस ने वादा किया था कि हम उनके कृषि कर्ज माफ करेंगे तब डॉ. रमन सिंह ने कहा था कि ऋण माफी की घोषणा छलावा मात्र है इसका क्रियान्वयन संभव नहीं है। हमारी सरकार ने वादे के अनुसार ऋण माफी करके दिखाई।

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि डॉ. रमन सिंह ने कहा था कि 2500 रू. प्रतिक्विंटल की दर से धान खरीदने की घोषणा चुनावी वादा मात्र है। इसका क्रियान्वयन संभव नहीं है। हमारी सरकार ने न केवल रिकार्ड 85 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया बल्कि अपना वादा निभा कर दिखाया। वर्ष 2014 में जब केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होने बोनस देने पर प्रतिबंध लगाया।

प्रदेश में अब तक 59.79 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

■ राज्य के 15 लाख किसानों ने बेचा धान

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 06 जनवरी 2021 तक 59 लाख 79 हजार 350 मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 15 लाख 2 हजार 800 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 18 लाख 57 हजार 113 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 15 लाख 44 हजार 235 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

खरीफ वर्ष 2020-21 में 06 जनवरी 2021 तक राज्य के बस्तर जिले में 77 हजार 341 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

इसी तरह रायगढ़ जिले में 3 लाख 64 हजार 416 मीट्रिक टन, बालोद जिले में 3 लाख 66 हजार 683 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में 4 लाख 14 हजार 297 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में 2 लाख 79 हजार 746 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में 2 लाख 92 हजार 190 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 4 लाख 97 हजार 618 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में 3 लाख 91 हजार 104 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में 2 लाख 91 हजार 302 मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में 2 लाख 12 हजार 154 मीट्रिक टन, महासमुंद जिले में 3 लाख 96 हजार 372 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में 3 लाख 47 हजार 388 मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 89 हजार 799 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 64 हजार 594 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 67 हजार 994 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 94 हजार 253 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में एक लाख 11 हजार 326 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

बर्डफ्लू रोकने राज्य सरकार ने कसी कमर पशुधन विकास विभाग ने जारी किए निर्देश

■ सीमावर्ती राज्यों से पक्षियों के परिवहन पर कड़ी निगरानी के निर्देश

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में बर्डफ्लू का अब तक कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। केरल, राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं हिमांचलप्रदेश में बर्डफ्लू रोग की पुष्टि होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पशुधन विकास विभाग द्वारा बर्डफ्लू के प्रवेश को रोकने के संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों सहित पशु चिकित्सा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को सीमावर्ती प्रदेश से पक्षियों के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के साथ ही सभी शासकीय एवं अशासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों एवं पोल्ट्री व्यवसायी केन्द्रों का सर्विलेंस करने के निर्देश दिए गए हैं। बर्डफ्लू के मामले में एहतियातन पशुधन विकास विभाग द्वारा राज्य के 7 जिलों में स्थित शासकीय पोल्ट्री फार्मो से एकत्र सेम्पल की जांच में बर्डफ्लू रोग का कोई भी लक्षण नहीं पाया गया है।

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, कृषि विकास तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग डॉ. एम. गीता ने बताया कि राज्य के दुर्ग, रायगढ़, जगलदपुर, बैकुण्ठपुर-कोरिया, बिलासपुर जिले के कोनी एवं सरगुजा जिले के कुनकुरी स्थित शासकीय पोल्ट्री फार्म से बर्डफ्लू की जांच पड़ताल के लिए वहां से सेम्पल लेकर जांच की गई। सभी सेम्पल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। छत्तीसगढ़ में बर्डफ्लू का अब तक कहीं से कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि राज्य में बर्डफ्लू रोग के प्रवेश को रोकने के संबंध में जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पक्षियों की असामान्य बीमारी एवं मृत्यु होने की स्थिति में अधिकारियों को सतर्कता बरतने की निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार की द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सेम्पल साईज का पालन करते हुए नमूने एकत्रकर राज्य स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला रायपुर भिजवाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

शराब दुकानों से बोतल गायब, पौवा से काम

रायपुर। शराब खराब है लेकिन पीने वालों की कमी नहीं.. छत्तीसगढ़ में शराब की खपत अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अंग्रेजी शराब की बढ़ी हुई कीमतों के कारण शराब प्रेमी अब देसी शराब ज्यादा पी रहे हैं और देसी शराब की खपत भी प्रदेश में अंग्रेजी शराब के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन देसी शराब में हो रही लगातार धांधली ओं के कारण यह सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित सरकारी देसी शराब दुकानों में इन दिनों बोतलों की कमी हो रही है और इसे छिपाने के लिए दुकान संचालक आबकारी विभाग की मिलीभगत से बोतल की जगह मदिरा प्रेमियों को पौवा दे रहे हैं। इससे आबाकारी विभाग पर सवाल उठ रहे हैं।

पोषण पुनर्वास केन्द्र पखांजूर से मीनाक्षी हुई पूर्ण रूप से स्वस्थ

पखांजुर। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना सुपोषण अभियान के लगातार बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कांकेर जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र पखांजूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संचालित पोषण पुर्नवास केन्द्र कुपोषित बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कुपोषित बच्चों को इस केन्द्र में नया जीवन मिल रहा है। ग्राम पंचायत आंकमेटा के आश्रित ग्राम चाकुरकल की कुपोषित बालिका मीनाक्षी कवाची को पोषण पुर्नवास केन्द्र पखांजूर में भर्ती होने के बाद बेहतर देखभाल और संतुलित पौष्टिक आहार से कुपोषण से मुक्त होकर अब हंसी-खुशी अपने घर लौट चुकी है।

पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती करते समय मीनाक्षी का वजन 10.38 किलोग्राम था। केन्द्र में समुचित देखरेख, ईलाज और बेहतर खान-पान से मीनाक्षी का वजन 15 दिनों में ही बढ़कर 11.95 किलोग्राम हो गया। पोषण पुर्नवास केन्द्र में इस बालिका को मितानिन के द्वारा भर्ती कराया गया। पोषण पुर्नवास केन्द्र में डॉ. बी.के. सिन्हा एवं फीडिंग डेमोस्ट्रेटर केशरी ठाकुर की देख-रेख में ईलाज किया गया। प्रतिदिन उसका वजन नियमित रूप से मापा गया, इन 15 दिनों में प्रत्येक दिन बालिका की माता को बच्ची के खान-पान और स्वच्छता के बार में समझाईश दी गई।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों को सराहा

■ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने वीडियो कांफ्रेंस से सातवें नेशनल हेल्थ समिट में नवाचारों पर दिया प्रस्तुतिकरण

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने उठाए गए अभिनव कदमों की सराहना की है। मंत्रालय द्वारा आयोजित सातवें नेशनल हेल्थ समिट ऑन गुड रिप्लीकेबल प्रेक्टिस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टममें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने प्रदेश में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए किए जा रहे विभिन्न नवाचारों के बारे में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन और पोस्टरों के जरिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नवीन पहलों की जानकारी दी।

स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में लगातार नई पहल की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय समिट में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, एन.एल.ई.पी. लेपट्रैक, स्मोक-फ्री जशपुर नगर, कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर, मितानिन ऑनलाइन पेमेंट, जाँच मितान, स्पेशल एक्शन प्लान फॉर लेप्रोसी तथा केटेगराइजेशन आफ एसेन्शियल सर्विसेस एक्ट एच.डब्ल्यु.सी. ड्यूरिंग कोविड टाइम जैसे नवाचारों के अनुभव साझा किए गए।

स्पेशल एक्शन प्लान फॉर लेप्रोसी

छत्तीसगढ़ से कुष्ठ रोग के समूल उन्मूलन हेतु सबसे ज्यादा प्रभावित दो जिलों को चिन्हांकित कर विशेष नवाचार का कार्य किया गया है। इसके तहत दुर्ग व रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ को ट्रेनिंग दी गई व नुक्कड़ नाटक, बैनर, रैली व अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। चर्म रोग निदान अभियान के तहत दुर्ग जिले में 650 दलों एवं रायगढ़ में 175 दलों द्वारा घर-घर जाकर सर्वे किया गया तथा शिविरों के माध्यम से लोगों की जाँच की गई। एन.एल.इ.पी. लेपट्रैक (मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन) के माध्यम से कुष्ठ मरीज़ों की निगरानी के साथ ही कुष्ठ मरीज़ों के फॉलो-अप का कार्य भी किया जा रहा है।

मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान

मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत 15 जनवरी 2020 को बस्तर संभाग से की गई थी जिसके अंतर्गत पहले चरण में 14 लाख छह हजार लोगों की मलेरिया जांच कर पॉजिटिव पाए गए 64 हजार 646 लोगों का पूर्ण उपचार किया गया। वहीं दूसरे चरण में कोरोना संक्रमण से बचने की चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 23 लाख 75 हजार लोगों की जांच कर मलेरिया पीड़ित 30 हजार 076 लोगों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराया गया। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान मलेरिया के साथ ही अनीमिया और कुपोषण दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

केटेगराइजेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेस एक्ट एच.डब्ल्यु.सी. ड्युरिंग कोविड टाइम

कोविड महामारी के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित रेड जोन, ऑरेंज जोन व ग्रीन जोन में निर्धारित नियमानुसार राज्य के हेल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर्स द्वारा आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनाये रखी गयी। इसमें मातृत्व स्वास्थ्य, प्रसव संबंधित सेवा, शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण, संचारी व गैर संचारी रोग, परिवार नियोजन संबंधित सेवा जैसी सेवाओं की निरंतरता बनाए रखी गयी थी। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की गतिविधियां भी इस दौरान संचालित रहीं।

शराब दुकान में पॉकिटमारी का विरोध करने पर तीन लोगों से लूट

■ बदमाशों ने चांदी की चेन, मोबाइल व नगदी रुपये लूट लिए

■ लोगों की मदद से एक आरोपी को पकड़कर किया गया पुलिस के हवाले

रायपुर। पाकिटमारी का विरोध करने पर बदमाशों ने तीन लोगों से शराब दुकान में नगदी व मोबाईल फोन सहित चांदी की चैन लूट लिया। लोगों की मदद से लूट करने वाले एक आरोपी को पकड़ पुलिस को सौंप दिया वहीं दो अन्य भाग गए। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 392 के तहत लूट का मामला दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार समता कालोनी रायपुर निवासी ललित साहु 30 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 06 जनवरी को रात्रि 07 बजे देशी शराब दुकान उरला में शराब खरीदने गया था। लाईन में लगकर शराब खरीदने के दौरान एक व्यक्ति ने पैकेट में हाथ डाला मना करने पर उसने जबरन गले में पहना चांदी की 10 तोला चैन अनुमानित कीमत 7500 रुपये को छीनकर अपने अन्य साथी को दे दिया। इसके कुछ देर बाद उक्त व्यक्ति ने जितेन्द्र कुमार साहु गुढियारी निवासी का भी पांच सौ रुपये लूट लिया एवं शराब खरीदने आए लाल सिह राजपूत निवासी सिहोर मध्यप्रदेश का भी रेडमी कंपनी का मोबाईल पर्स में रखे 8900 रुपये लूट लिया। इसकी जानकारी शराब दुकान के बाहर निकलने पर हुई। जिसके बाद जितेन्द्र कुमार साहु ने 112 डायल कर कॉल कर घटना की सूचना पुलिस को दिया। लूट को अंजाम देने वाले आरोपी को तीन युवक मिलकर शराब दुकान के बाहर खोज रहे थे।

संपादकीय

वार्ता से पहले किसानों का शक्ति प्रदर्शन

सरकार और किसान संगठनों के बीच नए कृषि कानूनों को लेकर 8 तारीख को नवे दौर की वार्ता होनी है। इसके पहले आंदोलनरत् किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाल कर शक्ति प्रदर्शन किया। जब बातचीत जारी है तो इस बीच इस तरह का शक्ति प्रदर्शन यही दर्शाता है कि किसान संगठन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे है वैसे इस तरह के शांती पूर्ण प्रर्दशन पर आपत्ति नहीं हो सकती। किसानों को अपनी मांगों को लेकर शांतीपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन बातचीत के बीच इस तरह के प्रदर्शन के औचित्य पर सवालिया निशान तो लगते ही है। जिस तरह ट्रैक्टरों में बैठकर हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया वह चिंता की बात है। खासतौर पर इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल के दौरान किसानों के इस आंदोलन को लेकर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से सवाल किया है कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर नियमों का पालन किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमे नहीं पता कि आंदोलनरत् किसान कोविड से सुरक्षित है या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तब्लीकी जमात की तरह ही दिक्कत हो सकती है। सरकार ने इस बारे में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि हम हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते का समय दिया है। यदि और दो सप्ताह किसानों का आंदोलन चलता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। आंदोनल स्थल पर कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का किस तरह पालन हो रहा है यह खबरिया चौनलों पर साफ नजर आ रहा है। इस बीच कुछ किसानों की मौत भी हो गई है, निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है आंदोलनरत् किसानों को चाहिए कि वे बेशक आंदोलन करे लेकिन कोरोना को मद्देनजर रख कर जो दिशा निर्देश जारी किए गए है उसका वे ईमानदारी से पालन करें। रही बात किसानों की मांगों को लेकर सरकार से हो रही बातचीत की तो वह अब तक बेनतीजा ही रही है। आज होने वाली बैठक में भी समस्या का समाधान होगा इसे लेकर संदेह है। दरअसल देश में अस्थिरता पैदा करने की ख्वाहीशमंद कुछ ताकतें यह नहीं चाहती की किसानों का आंदोलन जल्दी खत्म हो वो इसे लंबा खींचना चाहती है और किसानों को उग्र आंदोलन के लिए उकसाना चाहती है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है इसलिए सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान करें।

विचार

गणतंत्र दिवस की गरिमा

कोविड-19 से उपजी समस्याओं और दुश्चिंताओं के बीच देश 72वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में है, लेकिन समारोह के मुख्य अतिथि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हाल में यह कहते हुए क्षमा मांग ली कि अपने देश में महामारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए यह भूमिका वे नहीं निभा पाएंगे। ऐसे में शायद यह पहली बार ही होगा कि गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी शासनाध्यक्ष अतिथि के रूप में मौजूद न हो। वैसे भी इस समारोह की पारंपरिक भव्यता इस बार देखने को नहीं मिलेगी। समारोह स्थल पर 25 हजार से ज्यादा दर्शकों की इजाजत न देने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। परेड में शामिल फौजी दस्तों और झांकियों की संख्या कम होगी और परेड लाल किले तक जाने के बजाय नैशनल स्टेडियम पर, यानी लगभग आधी दूरी में ही समाप्त कर दी जाएगी। मगर गणतंत्र दिवस समारोह की अहमियत वहां मौजूद दर्शकों और परेड की भव्यता से ज्यादा उस भाव से जुड़ी है जो हर देशवासी के मन में इस समारोह के प्रति बना रहता है। लिहाजा गौर से देखें तो इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह का सबसे बड़ा संकट राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के धरने से जुड़ा है। इस मामले में हालात जल्दी सामान्य नहीं बनाए गए तो कुछ ऐसे अप्रिय प्रसंग देखने को मिल सकते हैं, जो गणतंत्र दिवस की गरिमा के अनुरूप नहीं होंगे। विवादित कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान पिछले डेढ़ महीने से राजधानी के आसपास खुले में मौसमों की मार झेल रहे हैं। सात दौर की बातचीत नाकाम होने के बाद उन्होंने बयान जारी किया है कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में प्रवेश करके वे अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। बेशक सरकार ताकत के बल पर उन्हें राजधानी के संवेदनशील इलाकों में घुसने से रोक सकती है, लेकिन राष्ट्रीय गौरव के इस अवसर पर बल प्रयोग की कोई भी घटना देश का सिर नीचा करेगी। वैसे भी इस आंदोलन को किसी हठधर्मिता के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। यह बात जगजाहिर है कि तीनों कृषि कानूनों की ड्राफ्टिंग से लेकर उन्हें संसद में पारित कराने तक किसानों और जन प्रतिनिधियों से जैसा संवाद होना चाहिए था, वह नहीं हो सका। कानून आने के तुरंत बाद पंजाब में किसान इसके खिलाफआंदोलन पर उतर आए लेकिन केंद्र सरकार की तरफसे उन्हें भरोसे में लेने की कोई पहल नहीं की जा सकी। आखिर एक दिन वे रेल पटरियों से उठे और हरियाणा तथा केंद्र सरकार के बैरिकेडों को एक तरफकरते हुए दिल्ली बॉर्डर तक आ पहुंचे। तब से अब तक उनका दायरा देशव्यापी हुआ है। सरकार ने उनसे कई दौरों की बातचीत की है लेकिन संवाद का स्तर सुधरने के बजाय बिगड़ा ही है। अविश्वास की एक गहरी खाई सरकार और किसानों के बीच खुद गई है। इसे जल्दी पाटा जाना चाहिए, ताकि दुनिया में हमारी छवि एक अशांत समाज जैसी न बने।

मोर जमीन-मोर मकान, गरीबों के चेहरे पर ला रही मुस्कान

भारत सरकार से मिला छत्तीसगढ़ को सम्मान

कमलज्योति

> नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण, आबादी भूमि के हितग्राहियों को पात्र हितग्राही प्रमाण-पत्र का वितरण, कम समय अवधि में हितग्राहियों को किश्त प्राप्ति एवं आवश्यकता अनुरुप आसान किश्तों की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शासन ने स्पेशल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिससे ये समुदाय अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ कर प्रगति की राह पर आगे बढ़ चले हैं। इसके साथ ही निकायों के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कराने एवं निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु राज्य स्तरीय मोर प्रदर्शन-मोर सम्मान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आवास निर्माण के कार्य अति शीघ्र पूर्ण हुए। मंत्री डॉ. डहरिया, विभागीय सचिव एवं अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए गए। कार्यों की नियमित रूप से ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की गई। जन जागरूकता हेतु स्वच्छ भारत मिशन के साथ संयुक्त रूप से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया।

सड़क किनारे छोटी सी दुकान लगाकर सब्जी बेचने वाली बीजापुर की हिरोंदी बाई आज खुश है। उसकी खुशी की सबसे बड़ी वजह है कि उसके पास अब अपना पक्का मकान है। उसके पति का भी यहीं सपना था कि मिट्टी का घर और खपरैल छतों से छुटकारा मिल जाए तो बारिश के दिनों में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हिरोंदी बाई के पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सपनों के घर में रह रहीं हिरोंदी बाई को लगता है कि अब जब वह पक्के मकान में रह रही है तो उनके पति की आत्मा भी जरूर खुश होगी। कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर की रहने वाले श्रीमती बालकुंवर विश्वकर्मा ने भी कभी पति के साथ पक्के घर का सपना बुना था, लेकिन पति के जीते-जी यह सपना पूरा नहीं हो पाया। उनका सपना था कि उनकी पत्नी और बच्चे पक्के मकान में रहें। अब भले ही वह अपने बच्चों, बहू और नाती के साथ रहती है, लेकिन अपने पति के पूरे हुए सपनों पर उसे अपार खुशी है। हिरोंदी बाई हो या बालकुंवर इन दोनों की कडुवाहट भरी जिंदगी को खुशियों में बदलने वाला कोई और नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार ही है, जिसने मुसीबत के समय मदद की और इनके सपनों को पूरा कर इन गरीबों के चेहरे में मुस्कान लाई।

अपने पति की मौत के बाद कच्चे मकान में रह रही बीजापुर की श्रीमती हिरोंदी बाई कश्यप और बैकुण्ठपुर की श्रीमती बालकुंवर को मोर जमीन-मोर मकान के तहत पक्का मकान मिला है। राजनांदगांव की श्रीमती सोनबती साहू को भी मकान मिल गया है, जिससे उनका बिखरा हुआ परिवार संयुक्त हो गया है। इन सभी को अपने पुराने मिट्टी के घर के बदले इनकी ही जमीन में पक्का मकान मिला है।

प्रदेश में शहरी क्षेत्र के ऐसे हजारों गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार की समावेशी

मॉडल से लाभान्वित हो रहे हैं। बेघरों को समय पर पक्का मकान बनाकर उन्हें घर की चाबी देने वाली सरकार की बदौलत नए घर में जहां गरीबों का मान-सम्मान बढ़ रहा है, वहीं मोर जमीन-मोर मकान के हितग्राहियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, अन्य योजनाओं का समावेश कर उनके सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा भी ÷बेस्ट कन्वर्जेंस विथ अदर मिशन÷ की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को उत्तम प्रदर्शन करने हेतु पुरस्कृत किया गया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के गरीबों के उन्नयन और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे है, जिसका परिणाम रहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को तीन श्रेणियों में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

75 हजार शहरी परिवारों को मिला आवास

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा लगभग सभी योजनाओं में गरीबों को प्राथमिकता दी गई है। भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण का अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियम लाया गया है। 19 नवंबर 2018 के पूर्व काबिज कब्जा धारकों को भू-स्वामित्व अधिकार प्रदान की व्यवस्था की गई है। इसमें ऐसे व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे जिन्हें पूर्व में पट्टा प्रदान किया गया था परंतु नवीनीकरण प्रावधानों के अभाव में वह भूमि का उपभोग नहीं कर पा रहे थे। इस निर्णय में राज्य के लगभग दो लाख से अधिक शहरी गरीब परिवार सीधे लाभान्वित होंगे तथा उन्हें 'मोर जमीन मोर मकान' योजना में 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान भी किया जा रहा है। मोर जमीन मोर मकान योजना से गरीबों को जोड़कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में इस योजना से अभी तक 75 हजार हितग्राहियों का आवास पूर्ण हो गया है।

शीघ्र आवास निर्माण और नवाचार की दिशा में उठाएं गए कदम

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया की पहल से आवास निर्माण हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण, आबादी भूमि के हितग्राहियों को पात्र हितग्राही प्रमाण-पत्र का वितरण, कम समय अवधि में हितग्राहियों को किश्त प्राप्ति एवं आवश्यकता अनुरुप आसान किश्तों की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शासन ने स्पेशल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिससे ये समुदाय अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ कर प्रगति की राह पर आगे बढ़ चले हैं। इसके साथ ही निकायों के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कराने एवं निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु राज्य स्तरीय मोर प्रदर्शन-मोर सम्मान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आवास निर्माण के कार्य अति शीघ्र पूर्ण हुए। मंत्री डॉ. डहरिया, विभागीय सचिव एवं अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए गए। कार्यों की नियमित रूप से ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की गई। जन जागरूकता हेतु स्वच्छ भारत मिशन के साथ संयुक्त रूप से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया। राज्य शासन ने हितग्राहियों की सुविधाओं को प्रमुखता देते हुए आवास योजना अन्तर्गत 827 परियोजनाओं में अन्य योजनाओं का समावेश किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहण ÷आशा चढ़ी परवान÷ है। इस योजना का सीधा लाभ कुष्ठ पीड़ितों और उनके परिवारों को मिला जो बीमारी की वजह से शहर से बाहर रह कर भिक्षावृत्ति कर पेट भरने को मजबूर थे। इनके इलाज के साथ, रोजगार की व्यवस्था और आत्मनिर्भर बनाने के साथ सम्मानपूर्वक जीवनयापन की दिशा में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सहित कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं।

अधिकारों के प्रति सजगता से ही थमेगा 'निर्भया' का उत्पीड़न

मुनीष भाटिया

> इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। आज समय की यह मांग है कि कड़े कानून बनाकर समाज की इन नकारात्मक प्रवृत्तियों पर लगाम कसी जाए। अतः बेहद ज़रूरी है कि सर्वप्रथम घर-घर फैल रही अश्लीलतला का विरोध किया जाए। नारी को उपभोग की वस्तु न मानकर उसे समाज में उचित सम्मान दिलाने में सार्थक क़दम उठाए जाएं। महिलाओं को भी अपने में ऐसा साहस उत्पन्न करना होगा कि जहां कहीं भी घर, गली-मुहल्ले, बस एवं संस्थान में कहीं भी नारी के साथ छेड़छाड़ हो तो उन अपराधियों के ख़िलाफ़सामूहिक कार्रवाई की जाए। अपने अधिकारों के प्रति सजगता व अपनी कमज़ोरी की भावना को तिलांजलि देनी होगी तभी नारी पर होने वाले घरेलू व सामाजिक अत्याचारों पर अंकुश लग सकेगा।

स्वतंत्रता बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महिला अधिकारों के प्रति बड़ी तेजी से सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं लेकिन फिर भी जब देश की महिलाओं की दशा पर दृष्ट्रि डाली जाती है तो सहसा समाज में बढ़ रही बलात्कार एवं यौन शोषण घटनाओं में उत्तरोत्तर हो रही वृधि का कारण महिलाओं के खुद के अधिकारों के प्रति सजगता के अभाव में यह रोग नासूर बनता चला जा रहा है। वर्ष 2021 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में महंत व् उसके साथियों द्वारा निर्भया के समान दरिंदगी करने जैसे घटनाओं से होती हैढ्ढ इसके अलावा नववर्ष के प्रथम सप्ताह में रांची में बलात्कार के बाद निर्मम हत्या और जालंधर में भी बलात्कार के बाद की गई हत्या यह सोचने को मजबूर कर रही है कि समाज में आज किस खतरनाक मुहाने पर खडा है ढ्ढ जिस राष्ट्रा में कभी नारी की साड़ी उतारने का प्रयास करने से महाभारत हो गया था उसी नारी की अस्मिता, स्वाभिमान व सम्मान को आज तार-तार किया जा रहा है। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता' का मंत्र झूठा-सा लगने लगा है जब चारों ओर अनैतिकता का बोलबाला होना आरंभ हो गया है। यह अफ़्सोस की बात है कि नारी अत्याचार में न केवल अशिक्षित वर्ग बल्कि तथाकथित कुलीन वर्ग भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नारी शोषण में संलिप्तग है।

आज नारी की हालत यह है कि वह जहां एक ओर घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है वहीं दूसरी ओर समाज में भूखे भेड़ियों के लिए छेड़छाड़ व दुष्कर्म की वस्तु बन रही है। इसका एकमात्र कारण समाज के प्रत्येक वर्ग में शिक्षा का अभाव है। आज की महिला न तो अपने अधिकारों के प्रति सजग है और न ही वह स्वयं में इन अत्याचारों से लड़ पाने की निजी शक्क्रिर जुटा पा रही है। जहां नारी से किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है या तो वह चुपचाप सहन कर जाती है और यदि प्रतिकार करती है तो आस-पास की व्यंग्यपूर्ण नज़रों से वह अपने को अकेला पाती है। यहां तक कि अन्य महिलाएं भी आवाज़ उठाने में हिचक महसूस करती हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं उन्हें भी इसी तरह की हिंसा का पात्र नहीं बना दिया जाए। लेकिन वास्तव में यह ज़रूरी है कि बजाए तमाशा बनने के अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए।

अपने को कमज़ोर समझने की अपेक्षा मन को मज़बूत किया जाए। इसकी शुरूआत समाज की प्रथम इकाई परिवार से ही की जाए। शुरू से बालिका के मन में सामाजिक अत्याचारों से लड़ने की शक्[ै। का संचार किया जाए। इस तरह वह भविष्य में न तो अत्याचार सहन करेगी और न ही अत्याचार होते देख सकेगी।

आज यदि हम समाज पर दृष्ुिरू डालें तो यत्र-तत्र सर्वत्र महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं सुनने-देखने को मिल जाएंगी। नारी को उपभोग की वस्तु बनाकर एक 'ब्रांड' की तरह पेश किया जा रहा है। त्याग व ममता की प्रतिमूर्ति को बाज़ारू वस्तु बनाकर, अश्लीहलता का नंगा नाच किया जा रहा है जिससे समाज में चारित्र्य व नैतिकता का ह्रास हो चुका है। सौंदर्य प्रदर्शन तो कोई बुरी बात नहीं पर जब देह प्रदर्शन व अश्लीलता को मनोरंजन के नाम पर परोसा जाता है तो यह इक्कीसवीं सदी के महिला जगत का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। भले ही वह बढ़ावां विदेशी प्रचारतंत्र के माध्यम से अथवा धन-लोलुपता के गणित में उलझे कुछ फ़िल्म निर्माताओं के माध्यम से ही हो रहा है। इन सबमें से कोई न कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अश्लीलता फैला रहा है। समाज में इस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा है जिसमें अश्लीलता को समाज का अभिन्न अंग मानकर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह समाज के नैतिक व चारित्रिक दिवालिएपन का ही परिणाम है कि समाज में संयम समाप्त हो रहा है। भारत में घटित हो रही ऐसी उच्छृंखल यौनाचार की घटनाएं समाज में फैल रही असहय अश्लीलता के फलस्वरूप ही घटित हो रही हैं।

यह सर्वविदित है कि 'ज़रा से रिन' की तरह ज़रा-सी अश्लीलता भी समाज को कामुक बनाने में सर्वथा समर्थ है। यही कारण है कि समाज में महिलाओं के प्रति शारीरिक हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। रोज कोई ना कोई बालिका के 'निर्भया' घोषित हो रही है ढ्ढ आए दिन समाचारों में छः वर्ष की बाला से लेकर साठ वर्ष की वृद्धा तक के साथ यौन उत्पीड़न की ख़बरें सुनने को मिलती रहती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में पिछले कई वर्षों में प्रति वर्ष सैंकड़ों मामले बलात्कार के और सैंकड़ों ही मामलों में महिलाओं के साथ ज़्यादतियों के तथा उससे भी अधिक मामले महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के दर्ज़ हुए। इसी दौरान महिलाओं के अपहरण के भी मामले सैंकड़ों में दर्ज़ हुए। यदि देश की राजधानी की यह स्थिति है तो पूरे देश में महिलाओं की क्या स्थिति होगी?

पाठकों की बात | पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

तुम पर भरोसा

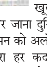

तुम पर भरोसा करना मतलब भगवान सके सदर पर माथा टेकना खूबसूरत अहसास से भर जाना दुनिया से विलग हो तुम मन को अलौकिक सूकून देता तुम्हारा हर कदम सबसे अलग सबसे विलग प्रेम हो सच है प्रेम अहम से परे स्वयं का विसर्जन आत्मा का एकाकार होना।

-रेनू शब्द मुखर

न संघर्ष न तकलीफें

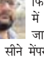

न संघर्ष न तकलीफें फिर क्या मजा है जीने में तूफान भी रूक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने मेंपसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते जो करते है मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते संघर्ष थकाता ज़रूर है पर हमें सुंदर भी बनाता है और.. अंदर से मजबूत भी फिसलती रेत से सीख लो सबक जिन्दगी के जोर अपनी जगह होता है और नजाकत अपनी जगह। - सूर्य प्रकाश मिश्र

खास पाती | समय-समय पर हर चीज की

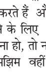

समय-समय पर हर चीज की कीमत बदलती है गर्मियों की चुभती धूप सर्दियों में बड़ी अच्छी लगती है बेवजह याद नहीं करता कोई किसी को कुछ तो मतलब छिपा होता है पता तो तब चलता है जब हैसियत बदलती है बहुत मुस्कुराकर बातें करते हैं और दिल में जहर रखते हैं पर याद रखना ऐ नादान मक्खन लगाने के लिए छुरी ही चलती है बिना जरूरत की चीजें बोझ लगती है चाह ना हो, तो नज़दीकियां भी दूरी लगती है जहां सावन में सुहानी लगती हैं रिमझिम वहीं बेमौसम बरसात भी बुरी लगती है। - **माया देवांगन**

आप मुद्दत में मिले ऐसे में क्या

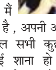

आप मुद्दत में मिले ऐसे में क्या पेश करूँ, दिल के जज़्बात करूँ या मैं गिला पेश करूँ। माँग लाऊंगी मैं गुलशन से बहारों के सपन, आप कहिये तो मुझे क्या मैं नया पेश करूँ। तोहफ़ा-ए-दीद को दिल मेरा यही कहता है , अपनी आंखों को हथेली पे सजा पेश करूँ। मेरी हस्ती ये वसाइल सभी कुछ है तेरा, नज़्र तुझको मैं करूँ क्या ए ख़ुदा पेश करूँ। कोई शाना हो मेरा कोई सहारा तो मिले, फिर मैं उनको मेरे हर ग़म की सदा पेश करूँ। दाग़ जो तुमने दिया उसको छिपाऊं कबतक, सोचती हूँ कि जो तुमसे है मिला पेश करूँ। - **रूबी झा 'कमल'**

लालकिला हो या ताजमहल भारत

लालकिला हो या ताजमहल भारत मे बनने वाली हर चीज भारत की है और उसे भारतीय ने बनवाया है क्योंकि उसमें भारत का पैसा मजदूरी और संसाधन लगा है किसी मुगल या शाहजहां ने नही ऐसा ही था तो कितने मुगल रेगिस्तान में मर गए एक दो कमरे का लिंटर तो पिटवा नही पाये आये यहां अपना हुनर दिखाने...!! - **विजय पाण्डेय**

अधर पर बैठ कर माँ शारदे

अधर पर बैठ कर माँ शारदे ,जब गुनगुनाती हैं लगे सब झूमने गाने,,समाँ ऐसा बनाती हैं मिलो संजय सदा तुम प्रेम से लग कर गले सबके लिखो तुम गीत वो ही शारदे माँ जो लिखाती हैं

- **संजय कुमार गिरि**

हम ऐसे लोग हैं जो दुःख की

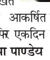

हम ऐसे लोग हैं जो दुःख की अधिकता पर रोते नहीं, बस चुप हो जाते हैं खुद को इन पीड़ाओं से अधिक शक्तिशाली समझने वाले जो अपनी गलन को बचा के रखते हैंकिसी और के हिस्से में आने से, हमें दुःख के किस्से आकर्षित करते और हम असम्भाव्य ही उनके भी पात्र बन जाते हैं फिर एकदिन हमारे भीतर लगा दीमक कुतर डालता है हमारा जीवन! - **रमा पाण्डेय**

ना घबराये तू कभी मौसम की मार

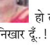

ना घबराये तू कभी मौसम की मार से..! ना विचलित हो तू कभी देश के गद्दार से..!! आ,आग मे तपते सोने सा तुझे निखार दूँ..! ना बदले रुख कभी तू तीखे शब्दो के वार से..!!

- **सविता वर्मा ग़ज़ल**

जो काम कर रहे थे उनका हौंसला बढ़ाना

जो काम कर रहे थे उनका हौंसला बढ़ाना था घन्टे-घड़ियाल, शंख,ताली और थाली बजाकर और दिए जलाकर उनका आभार जताना था। जानवरों में भग्गी मची उन्हें समझ कुछ न आया कीट पतंगें जल मरे। कुछ जानवरों को अब भी समझ नहीं आया साथ ही जलन बरकरार है। यह जानकर कुछ ज्यादा बढ़ गई कि वैक्सीन तैयार है। - **नवीन शंकर शर्मा**

QUIZ TIME

1) सामाजिक संगठन मालिनी रीडिंग क्लब कहाँ स्थित है?
2) कैप्टन एगेंन्यू का कार्यकाल कब था?
3) सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह को कब फाँसी दी गई थी?
4) कोसगई में कोषागार की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया?
5) ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा पट्टा मत लो आंदोलन कब चलाया गया था?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) रायपुर (2) 1818-1825 (3) 10 दिसम्बर, 1857 (4) कलचुरी शासक (5) 1930

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1026- सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूट कर उसे नष्ट कर दिया। 1697- ब्रिटेन में आखिरी बार ईशनिंदा के लिए मृत्युदंड दिया गया। 1790- अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने पहली बार देश को सम्बोधित किया। 1884- समाज सुधारक और 'ब्रह्म समाज' के संस्थापकों में से एक केशव चन्द्र सेन का निधन। 1856- डॉ. जॉन वीच ने हाइड्रेटेड सोडियम बोरेट की खोज की। 1889- हर्मन होलैरिथ को पंच कार्ड टैब्युलेटिंग मशीन के आविष्कार का पेटेंट मिला। 1890- हिन्दी साहित्यकार रामचन्द्र वर्मा का जन्म। 1908- प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री निडर नाडिया का जन्म। 1925- प्रसिद्ध साहित्यकार मोहन राकेश का जन्म। 1929- नीदरलैंड्स और वेस्टइंडीज के बीच पहली बार टेलीफोन संपर्क स्थापित हुआ। 1942- प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का जन्म। 1952- जॉर्डन ने संविधान अंगीकार किया। 1971- पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेता शेख मुजीबुर रहमान को जेल से आजाद किया। 1973- रूस ने स?पेस ÷मिशन ल?यूना 21÷ लांच किया। 1975- भारतीय संगीतकार हैरिस जयराज का जन्म। 1984- उत्तर कोरिया के तीसरे सर्वोच्च नेता किम जोंग उन का जन्म। 1984- पहली भारतीय महिला पायलट सुषमा मुखोपाध्याय का निधन। 2009- मिस्र के पुरात्ववेदाओं ने 4,300 वर्ष पुराने पिरामिड में रानी सेशेशेट की ममी की खोज की। 2010 - पुर्तगाल की संसद ने सम लैंगिक विवाह को स्वीकृति दे दी।

AUSvIND

विल पुकोवस्की और मार्नस लाबुशेन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली

पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 166/2 रन

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मैच सिडनी में खेला जा रहा है। तीसरे टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा और टीम की तरफ से विल पुकोवस्की और मार्नस लाबुशेन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। अबतक इस सीरीज में बेहतरीन लय में नजर आए टीम इंडिया के गेंदबाज सिडनी में बेअसर दिखाई दिए और साथ ही टीम ही गेंदबाजों को फील्डरों का साथ भी नहीं मिला। आइए एक नजर डालते हैं कि पहले दिन की पांच बड़ी बातों पर..

नवदीप सैनी और विल पुकोवस्की ने किया डेब्यू

सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में दोनों ही टीमों की तरफ से एक-एक खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। भारत की तरफ से तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने अपना टेस्ट डेब्यू किया और वह ऐसा करने वाले भारत की तरफ से 299वें खिलाड़ी रहे। सैनी को जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट कैप थमाई। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विल पुकोवस्की ने इस मैच में डेब्यू किया। पुकोवस्की ने अपनी पहली पारी में शानदार अर्धशतक जड़ा और काफी अच्छी लय में नजर आए।

ऋषभ पंत की खराब विकेटकीपिंग

ऋषभ पंत ने सिडनी टेस्ट के पहले दिन काफी खराब विकेटकीपिंग की और जिसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। पंत ने टेस्ट डेब्यू कर रहे विल पुकोवस्की के दो कैच छोड़े, जिसमें से एक काफी आसान कैच भी था। इसके बाद पुकोवस्की ने अच्छी बल्लेबाजी की और 62 रनों की पारी खेली, जिसकी मदद से दिन का खेल खत्म होने तक कंगारू टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नकुसान पर 166 रन बना लिए हैं।

विल पुकोवस्की और लाबुशेन ने की शतकीय साझेदारी

अपना डेब्यू मैच खेल रहे विल पुकोवस्की पारी की शुरुआत से ही काफी अच्छी लय में नजर आए। पुकोवस्की को लाबुशेन का भी अच्छा साथ मिला और डेविड वॉर्नर का विकेट जल्दी गंवाने के बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम को मुश्किल स्थिति से निकाला और दूसरे विकेट के लिए 100 रनों की पार्टनरशिप की। पुकोवस्की ने 62 रनों की पारी खेली और वह नवदीप सैनी की गेंद पर आउट हुए। वहीं, लाबुशेन पहले दिन 67 रन बनाकर नाबाद रहे।

बेअसर नजर आए टीम इंडिया के गेंदबाज

अबतक इस पूरी सीरीज में काफी दमदार नजर आई टीम इंडिया की गेंदबाजी पहली बार कुछ हद तक कमजोर दिखाई दी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन पहले दिन कोई भी विकेट नहीं चटका सके। इसके साथ ही अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे नवदीप सैनी ने पुकोवस्की का विकेट जरूर अपने नाम किया।

पंजाब नैशनल बैंक की डोरस्टेप बैंकिंग की मदद से घर बैठे कीजिए बैंक के कार्य

कैश जमा, निकासी, चेकबुक लेना, खाता संबंधी विवरण, जीवन प्रमाण पत्र देना, आयकर से संबंधी फार्म, डिमांड ड्राफ्ट इत्यादि सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे ग्राहक

रायपुर। बैंक संबंधी कार्यों के लिए अब आपको घर से निकलने की ज़रूरत नही है क्योंकि पंजाब नैशनल बैंक की डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा की मदद से आप घर से ही अपने बैंक से जुड़े सभी कार्य कर सकेंगे। देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक अपने ग्राहकों को उत्तम सेवा और समयानुसार उनकी बैंकिंग संबंधी लेनदेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी कदम उठाता रहा है। इसी कड़ी में बैंक प्रबंधन ने मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को नज़र में रखते हुए अपने सभी ग्राहकों के लिए उनके द्वार पर जाकर बैंकिंग सेवाएँ देने का अभियान चलाया है, जिसमें बैंक के सभी ग्राहक जिनमें वृद्ध, विकलांग व अन्य सभी ग्राहक सम्मिलित हैं जो बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली द्वार सेवा (डोरस्टेप बैंकिंग) का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए बैंक के ग्राहकों को अपने स्मार्ट फोन या फीचर फ़ोन में डोरस्टेप बैंकिंग की एप डाउनलोड करनी होगी और उसके पश्चात पंजाब नैशनल बैंक के नाम का चयन करके खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर लिख कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सफल रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत डोरस्टेप बैंकिंग के अधीन आने वाली चुनिंदा सेवाएँ जैसे: कैश जमा, निकासी, चैक बुक लेना, खाता संबंधी विवरण, जीवन प्रमाण पत्र देना, आयकर से संबंधी फार्म, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना इत्यादि सेवाओं का लाभ ग्राहक अपने घर बैठे ही ले सकते हैं। यह सभी सेवाएँ बैंक के मनोनीत अधिकारी/ एजेन्सी अपने पंजीकृत ग्राहकों को उनके द्वार पर ही प्रदान करेंगे।

पंजाब नैशनल बैंक के मंडलाध्यक्ष श्री जितेंद्र स्वाई ने और जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही ग्राहक इनमें से किसी सेवा के लिए अपने मोबाइल एप से आवेदन करेगा उस समय ग्राहक की जी.पी.एस. लोकेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली शाखाओं के नाम स्क्रीन पर दिखेंगे और ग्राहक अपनी पसंद की शाखा से वह सेवा लेने के लिए आवेदन कर सकता है।

बजाज ऑटो लिमिटेड बनी विश्व की सबसे मूल्यवान टू-व्हीलर कंपनी!

मुंबई। बजाज ऑटो लिमिटेड, वैश्विक स्तर पर 1 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली टू-व्हीलर कंपनी बन गई! बजाज ऑटो लिमिटेड का प्रति शेयर का मूल्य, एनएसई (1 जनवरी, 2021 को) पर 3479 रुपये पर पहुंच गया, जिससे इस मूल्य पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण 100,670.76 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। गौरतलब है कि बजाज ऑटो ने इस ऐतिहासिक मुकाम को उस वक्त हासिल किया है जब वह अपने परिचालन के 75 वें वर्ष का जश्न मना रहा है।

यह मार्केट कैप अन्य सभी घरेलू दोपहिया वाहन कंपनियों की तुलना में काफी अधिक है। विश्लेषकों के अनुसार, दुनिया में कहीं भी किसी भी अंतरराष्ट्रीय दोपहिया वाहन कंपनी ने अब तक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का बाजार पूंजीकरण हासिल नहीं किया है। इस तरह, बजाज ऑटो न केवल टू-व्हीलर सेगमेंट में सबसे मूल्यवान कंपनी है, बल्कि एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के मार्केट कैप पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली टू-व्हीलर कंपनी बन गई है।

कंपनी द्वारा इस मील के पत्थर को हासिल करने पर टिप्पणी करते हुए, बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक, श्री राजीव बजाज ने कहा, ÷कंपनी का मोटरसाइकिल की श्रेणी पर पैना फोकस है और बिना किसी ढिलाई के उत्पादों को और बेहतर बनाने के लिए हमारी नीतियों के अलावा वैश्विक स्तर पर नाम बनाने के हमारे वादे की वजह से ही बजाज ऑटो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन सकी है। इससे हमें दुनियाभर में हमारे ग्राहकों को और भी बेहतर उत्पाद मुहैया कराने की प्रेरणा मिलती है।

भारत में बजाज ऑटो का सफर 75 साल पहले शुरू हुआ था और आज पल्सर, बॉक्सर, प्लेटिना और आरई जैसे इसके ब्रांड्स दुनिया भर के 70 से अधिक देशों में लोकप्रिय हैं, जो सही मायने में इसे 'द वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन' बनाते हैं। इसकी वैश्विक पहुँच में लगातार इजाफा हो रहा है। इस वर्ष कंपनी थाईलैंड के बाजार में एंट्री कर रही है जबकि अगले वर्ष इसकी ब्राजील में उतरने की योजना है। बजाज ऑटो ने अपने प्रतिष्ठित ब्रांड चेतक को रिवाईव किया।

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-1, सिरपुर भवन, व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
email ID-eocghbzone1@gmail.com

आम सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी वीरसावरकर नगर हीरापुर रायपुर में निर्मित जनता भवन योजना में से भवन/ भूखण्ड क्र. जनता-1227 में श्री रज्जाक मोहम्मद कुरैशी पिता श्री शेख नत्थु मियां के नाम पर नामांतरित किया गया है। आबंटी द्वारा श्रीमती महमूदा बेगम पति श्री रज्जाक मोहम्मद कुरैशी को नामिनी घोषित किया गया है। आबंटी की मृत्यु दिनांक 10.12.2015 को हो जाने के कारण उनके वारिस श्रीमती नूर अफरोज पति श्री अब्दुल अख्तर द्वारा उक्त भवन अपने नाम पर नामांतरण करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र (श्रीमती महमूदा बेगम पति श्री रज्जाक मोहम्मद कुरैशी एवं श्रीमती नूरजहां कुरैशी पिता श्री मोहम्मद रज्जाक कुरैशी) का सहमति पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन/भूखण्ड श्रीमती नूर अफरोज पति श्री अब्दुल अख्तर के नाम पर नामांतरण किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/ भवन के नामांतरण के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर स्वतः उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेंगी, एवं भवन का नामांतरण आदेश जारी कर दिया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01
कबीर नगर, रायपुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा जिला बेमेतरा (छ.ग.)

ईश्तहार

sdorsaja@gmail.com

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरोज कुमार सिन्हा पिता सेऊकराम सिन्हा निवासी ग्राम चोरभट्ठी तहसील साजा जिला बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की भूमि ग्राम बिरनपुर प.ह.नं. 14 स्थित भूमि ख.नं. 1564/3 एवं 0.02 हेक्ट. भूमि को आवासीय सह व्यवसायिक प्रयोजनार्थ व्यपवर्तित करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं। जिसे संहिता की धारा 172 सहपठित धारा 5 (2), (5) के तहत व्यपवर्तित किया जाना है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को उजर-दावा हो तो दिनांक 19.01.2021 तक स्वतः अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में शाम 5.00 बजे तक दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय में पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा जिला बेमेतरा (छ.ग.)

ईश्तहार

sdorsaja@gmail.com

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री तीजूराम पिता रतन साहू निवासी ग्राम पथर्रीकला तहसील साजा जिला बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की भूमि ग्राम खैरी प.ह.नं. 31 स्थित भूमि ख.नं. 629 एवं 0.02 हेक्ट. भूमि को आवासीय सह व्यवसायिक प्रयोजनार्थ व्यपवर्तित करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं। जिसे संहिता की धारा 172 सहपठित धारा 5 (2), (5) के तहत व्यपवर्तित किया जाना है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को उजर-दावा हो तो दिनांक 19.01.2021 तक स्वतः अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में शाम 5.00 बजे तक दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय में पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

क्र./अ.वि.अ./वा-2/2021
आरंग, दिनांक 07/01/2021
रा.मा.क्र. अ-6 वर्ष 2020-21 ग्राम आरंग, तहसील आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका रंजवंतीन ढीमर पति स्व. लालजी ढीमर निवासी शास्त्री नगर अकोली रोड क्र. 14 नया वार्ड नं. 13 आरंग थाना व तहसील आरंग जिला रायपुर छ.ग. द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, आवेदिका के पिता/पति लालजी ढीमर को राजीव गांधी आश्रय योजना 1995 के तहत शास्त्री नगर अकोली रोड क्र. 14 नया वार्ड नं. 13 आरंग में स्थित अधिकार पत्र भूखंड क्र. 3738 क्षेत्रफल 327 वर्गफीट का पट्टा दिया गया था। पट्टाधारक लालजी ढीमर की मृत्यु दिनांक 26.01.2018 हो चुकी है। पट्टाधारक स्व. लालजी ढीमर की मैं विधिक उत्तराधिकारी पत्नी हूं। अतः पट्टाधारक की मृत्यु पश्चात प्रश्नाधीन भूमि को आवेदिका के नाम पर दर्ज किया जावे।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को दावा/आपत्ति हो तो वे अपना दावा/ आपत्ति मेरे समक्ष स्वयं या अपने वैध अभिभाषक/ अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 25/01/2021 के पूर्व पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 07/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से ईश्तहार जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)
सील

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000
अ-2/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक कुंजू साहू पिता भुनेश्वर साहू ग्राम बनरसी प.ह.नं. 48 में स्थित भूमि खसरा नं. 1730 का रकबा 0.0400 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.0400 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है, उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 05/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000
अ-2/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक रमेश कुमार साहू पिता नारायण साहू ग्राम बनरसी प.ह.नं. 48 में स्थित भूमि खसरा नं. 1717/2, 1717/3 का रकबा 0.0200, 0.0200 हे. कुल ख.नं. 02 कुल रकबा 0.0400 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.0400 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है, उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 05/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-1, सिरपुर भवन, व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
email ID-eocghbzone1@gmail.com

आम सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कबीर नगर फेस-III कालोनी रायपुर में निर्मित K.B.T. भवन योजना में से भवन/ भूखण्ड क्र. K.B.T. 348 B में श्री शेषर सिंह पटेल पिता श्री रामजी पटेल को भाड़ाक्रय/ पूर्णमूल्य आधार पर आबंटित किया गया है। आबंटी द्वारा दिनांक 03/02/2011 को विक्रय विलेख निष्पादित कर लिया गया। आबंटी उक्त भवन के विक्रय हेतु दिनांक 23/12/2020 को निष्पादित विक्रय इकरारनामा की छायाप्रति प्रस्तुत कर भवन श्री छत्रपाल पटेल एवं श्री रोहित पटेल दोनों के पिता श्री पिलासिंह पटेल के नाम से निष्पादित को विक्रय करने के लिए विक्रय अनुमति की मांग की है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/ भवन के विक्रय के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अंदर समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेंगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01
कबीर नगर, रायपुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री जीवनलाल यादव आ. स्व. कार्तिकराम यादव साकिन सिलोदा द्वारा ग्राम सिलोदा प.ह.न. 05 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 108/2, 169/1, 169/3, 179 रकबा कुल 1.53 हे. जो उसके कार्तिकराम के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 21.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202101112400002/
अ-2/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री ठाकुराम पिता शिवप्रसाद महिलांग जाति सतनामी द्वारा ग्राम सोनपैरी प.ह.नं. 12 में स्थित भूमि खसरा नं. 434 का टुकड़ा रकबा 0.04 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्न निर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.04 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है, उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 05/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री गिरीश कुमार विमल साहू पिता भीमसेन साहू निवासी आमदी मंदिर वार्ड 24 के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम सुरसीडीह प.ह.नं. 03 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 264/1, 264/2, 267/1 एवं 267/2 रकबा 0.16, 0.15, 0.58, 0.33 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता प्रमोद कुमार साहू पिता जगन्नाथ साहू के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 22.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका जयंती देवी आर साहू पति श्री गिरीश कुमार विमल साहू निवासी आमदी मंदिर वार्ड 24 के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम सुरसीडीह प.ह.नं. 03 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 262/1, 262/2, 262/3, 268 एवं 269 रकबा 0.26, 0.26, 0.55, 0.20, 0.42 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता इन्द्र कुमार साहू पिता जगन्नाथ साहू के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 22.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-20(3) वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012103800013

आवेदक आशीष श्रीवास्तव आ. दिनेश श्रीवास्तव निवासी कायस्थ पारा वार्ड 06 दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग स्थित नजूल शीट क्रमांक 28 डी प्लाट नं. 105/3 रकबा 52 वर्गमीटर एवं नजूल भूमि शीट क्रं. 28 डी प्लाट नं. 105/1 रकबा 40 वर्गमीटर धारक दिनेश कुमार आ. रशिमलाल श्रीवास्तव मो. कायस्थपारा दुर्ग के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। धारक दिनेश कुमार की मृत्यु दिनांक 17.07.2013 को हो चुकी है। मृतक धारक के वारिसान उनकी पत्नि श्रीमती लक्ष्मी बाई, पुत्र आशीष पुत्री निशा, निभा है। इसके अतिरिक्त अन्य वारिसान नहीं है। मृतक धारक के अन्य वारिसान आवेदक के पक्ष में नामांतरण हेतु अपंजीकृत सहमति पत्र निष्पादित किए है। आवेदक द्वारा उक्त प्रश्नाधीन भूखण्ड से मृतक धारक का नाम विलोपित कर उनके वैध वारिसानों की सहमति के आधार पर स्वयं का नाम नजूल अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 22.01.2021 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/ आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका श्रीमती प्रीति वर्मा पति महेन्द्र कुमार वर्मा साकिन उतई के द्वारा ग्राम खोपली प.ह.न. 43 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 794 रकबा 0.280 हे. भूमि चेमन कुमार कोसरिया वगै. आ. खोरबाहरा से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 05.01.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 22.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 06.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री रवि कुमार आडिल आ. स्व. कृष्ण कुमार साकिन गुजरा के द्वारा ग्राम डुण्डेरा प.ह.न. 41 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 812 रकबा 0.020 हे. भूमि टीकाराम बंजारे आ. स्व. मंगलराम बंजारे से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 10.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 22.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 04.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर आ. स्व. जयसिंह ठाकुर साकिन सिलोदा द्वारा ग्राम सिलोदा प.ह.न. 06 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 72, 85, 89/1 रकबा 1.03, 0.15, 0.32 हे. जो उसके स्व. जयसिंह ठाकुर के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 19.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर आ. स्व. जयसिंह ठाकुर साकिन सिलोदा द्वारा ग्राम पीपरछेड़ी प.ह.न. 61 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 146/2, 147/2 रकबा 0.810, 0.980 हे. जो उसके स्व. जयसिंह ठाकुर के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 19.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202101112400003/
अ-2/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती सुरेखा महिलांग पति ठाकुर राम महिलांग निवासी सोनपैरी तहसील आरंग जिला रायपुर द्वारा ग्राम समोदा प.ह.नं. 47 में स्थित भूमि खसरा नं. 1218, 1212, 1213 का टुकड़ा रकबा क्रमशः 0.17, 0.06, 0.17 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्न निर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा क्रमशः 017, 0.06, 0.17 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन व्यवसायिक प्रयोजन में करने का निवेदन किया है, उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 05/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका बीना गुप्ता पिता/पति राजेश गुप्ता निवासी शनिचरी बाजार दुर्ग मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 255/38 रकबा 0.005 हे. भूमि को उपहारकर्ता/आम मुख्तयार राजेश गुप्ता पिता स्व. मूलचंद गुप्ता से दिनांक 15.12.2020 को उपहार कर उपहार पत्र निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त उपहार के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 20.01.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट	पक्षकार का नाम	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं.
	श्रीमती पुष्पा	202012100400537

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती पुष्पा पति श्री कन्हैया लाल निवासी ए/3 सड़क नं. 09 सेक्टर 03 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 अ तह. व जिला दुर्ग	328/7	0.010 हें 1297 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट	पक्षकार का नाम	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं.
	श्रीमती नूरजहां बेगम	202012100400652

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती नूरजहां बेगम पति श्री मोहम्मद निवासी फरीद नगर कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 अ तह. व जिला दुर्ग	800/10	0.010 हें 1500 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट	पक्षकार का नाम	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं.
	श्रीमती नूरजहां बेगम	202012100400651

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती नूरजहां बेगम पति श्री मोहम्मद निवासी फरीद नगर कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 अ तह. व जिला दुर्ग	800/12	0.020 हें 1792 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट	पक्षकार का नाम	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं.
	श्रीमती मनोरमा देवी	202012100400579

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती मनोरमा देवी पति श्री गुलाबजल साह निवासी 3/ए सड़क 9 सेक्टर 03 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 अ तह. व जिला दुर्ग	328/8	0.017 हें 1800 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट	पक्षकार का नाम	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं.
	श्री एस.जेड. एजाज	202012100400017

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री एस.जेड एजाज आ. स्व. एस. एम.एम.ए सरकार निवासी सड़क नं. 72 सेक्टर 06 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	223/40	0.029 हें 3150 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट	पक्षकार का नाम	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं.
	श्रीमती गीता देवी	202012100400534

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती गीता देवी पति श्री लल्लन प्रसाद निवासी रामनगर सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कोहका प.ह.न. 19 तह. व जिला दुर्ग	9005/2	0.030 हें	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 23.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ ने किया यज्ञ हवन

भाटापारा। स्थानीय जनपद पंचायत कार्यालय के सामने एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चित कालीन धरने पर बैठे सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ ने प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने धरना स्थल पर यज्ञ हवन किया।इस दौरान दोनों संघ से जुड़े लोग उपस्थित थे। सचिव संघ ने इस पुरे माह के कार्यक्रम की घोषणा के अनुरूप धरना स्थल पर हवन पूजा की और आने वाले समय लोगो से भीख मांगकर सरकार को भेजने,भैस लाकर उसके आगे बिन बजाना,क्रमिक भूख हड़ताल करना रायपुर में धरना देना सी ?म हाउस का घेराव करना आदि इस माह के हड़ताली संघ की योजना में शामिल है।

पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारी मनीष दुबे,मन्नूलाल वर्मा,रोहित प्रजापति,रमेश वर्मा,विनोद वैष्णव,अमरनाथ मन हरे ,रविशंकर साहू सतीश वर्मा,रूपेन्द्र वर्मा,निरंजन धुव,लीलाधर वर्मा आदि ने बताया की उनकी एक सूत्रीय मांग को लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा अनदेखी की जा रही है। सरकार से लगातार निवेदन किया जा रहा है लेकिन उनकी एक सूत्रीय मांग को टाल मटोल किया जा रहा है, उनकी इस एक सूत्रीय मांग को पूरी नही किया जायेगा तब तक उनकी हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। विदित हो की ब्लाक सचिव संघ अध्यक्ष प्रशेन सिंह भट्ट के नेतृत्व में सचिव संघ अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार से कलमबंद हड़ताल पर चले गए है।सचिव संघ ने गत दिवस एक दिवसीय धरना देकर शासन प्रसाशन को आगाह किया था और अपनी एक सूत्रीय मांग पूरी ना होने पर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जनपद कार्यालय के समक्ष पंडाल तान कर हड़ताल पर बैठ गए है ब्लाक पंचायत सचिव संघ प्रदेश संघ के आह्वान पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके सचिवो को नियमित करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से हड़ताल कर रहे है। उनकी हड़ताल में इस बार रोजगार सहायक संघ में अपनी चार सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर है और दोनों संघ ने गुरुवार को धरना स्थल पर यज्ञ हवन कर सरकार को सद्बुद्धि देने आहुति दी।आज शुक्रवार को हड़ताली कर्मी लोगो से भीख मांग के एकत्रित पैसो को सरकार को भेजने का निर्णय लिया है।

रोजगार सहायक की अनिश्चितकालीन हड़ताल से मनरेगा कामकाज ठप, मजदूर हलाकान

देवभोग। इन दिनों राज्य सरकार को अलग-अलग कर्मचारियों के प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है जिसका पूरा असर गांव के अंतिम व्यक्ति पर पड़ रहा है रोजगार सहायक से लेकर ग्राम पंचायत सचिव भी इस अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है प्रदेश रोजगार सहायक संघ के निर्देशानुसार ब्लॉक के रोजगार सहायकों ने भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया जिसके चलते मनरेगा कामकाज पूरी तरह ठप होने के अलावा आम मजदूरों को जॉब कार्ड भूमि सुधार अन्य कार्य स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। यहां बताना लाजमी होगा की बीते 30 दिसंबर से सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं । 54 ग्राम रोजगार सहायक सामुदायिक भवन परिसर पर एकत्रित होकर बैनर तले सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। उल्लेखनीय हो कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने घोषणापत्र में रोजगार सहायकों को वेतनमान निर्धारण करने के अलावा नियमितीकरण करने के लिए वादा किया रहा। लेकिन राज्य में 2 वर्ष से ज्यादा समय सरकार स्थापित हो गया। पर आज तक रोजगार सहायकों की घोषणा की ओर ध्यान नहीं दिया है। जिसके चलते ग्राम रोजगार सहायकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कोरेनाकाल के दौरान भी ग्राम पंचायत रोजगार सहायकों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप का कहना है कि मनरेगा संबंधित शासन की योजना का क्रियावहन करते हुए लगातार सेवा दे रहे हैं। बावजूद इसके अब तक सेवा के अनुरूप नियमित करण नहीं हो पाया है। भूपेश सरकार से काफी उम्मीद लगाए रहे लेकिन आज 2 वर्ष बीतने के बाद भी वेतनमान निर्धारण नहीं होने के अलावा नियमितीकरण नहीं होता देख रोजगार सहायकों की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। तभी आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि कांग्रेश पार्टी के घोषणा पत्र से प्रभावित होकर रोजगार सहायक एवं परिजनों ने पार्टी को नियमितीकरण एवं वेतनमान निर्धारण करने की उम्मीद को लेकर भरपूर समर्थन दिया फिर भी मांगों को लेकर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3877 आवासों के लिए तीसरी किश्त की राशि जारी

- **आवास के लिए तीसरी किस्त 17 करोड़ 39 लाख 60 हजार रूपए हितग्राहियों के खातो में हुआ जारी**

कवर्धा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले के 3877 हितग्राहियों के लिए तीसरी किस्त कि राशि 17 करोड़ 39 लाख 60 हजार रूपए राज्य शासन द्वारा जारी किया गया है। उक्त राशि ऐसे आवासों को प्रदाय की जाएगी जिनके प्रधानमंत्री आवास का निर्माण छत स्तर तक हो गया है तथा आवास का जीयोटैग किया गया हों। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली यह तीसरी किस्त की राशि ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी राहत है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय दयाराम के. बताया कि जनपद पंचायत बोड़ला के अंतर्गत 1315 हितग्राही, जनपद पंचायत कवर्धा के अंतर्गत 411 हितग्राही, जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के अंतर्गत 400 एवं जनपद पंचायत पण्डरिया अंतर्गत 1751 हितग्राही सहित कुल 3877 आवास के हितग्राहियों को सीधे राहत मिलेगी। उन्होंने बताया की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण का कार्य चार स्तर में पूर्ण किया जाता है। जिसमें प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त 45 हजार रूपए, तीसरा किस्त 20 हजार रूपए एवं आवास पूर्ण हो जाने पर अंतिम किस्त पुनः 20 हजार रूपए सहित कुल 1 लाख 30 हजार रुपए शासन द्वारा प्रदाय किया जाता है।

टिकेंद्र उपाध्याय ने समाज सेवा को समर्पित किया अपना जीवन

भाटापारा। एक ऐसा सख्स जिसने मानव सेवा को समर्पित किया अपना जीवन , कहीं बेटियो की मुस्कान बने तो कहीं गरीबो के लिए मसीहा साबित हुए तो कहीं शिक्षा के ज्ञान के प्रकाश तक पहुंचाया बच्चो को । सेवा भावना की कहानीयो से सजा जिनका इतिहास और वर्तमान ये इंसान जिसका नाम है टिकेंद्र उपाध्याय जिन्होने अपनी शिक्षा उपरांत अपना जीवन पुरी तरह से जनसेवा मे लगा दिया। टिकेंद्र उपाध्याय जिनके पिता स्व. दाउ प्रसाद उपाध्याय थे जिन्होने 18 मार्च1965 को जन्म लिया था , ग्राम सांकरा के निवासी है । 28 वर्ष के छोटे से उमर मे लोगो की पीड़ा और दुख देखकर समाजसेवा करने की ठानी। सन 1993 से वर्तमान मे लगभग 27 वर्षो से जनकल्याण का कार्य करते आ रहे है। टिकेंद्र उपाध्याय का नाम पद्म श्री अवार्ड के लिए अनुशंसा किया जा चुका है। सन् 1993 मे टिकेंद्र उपाध्याय ने अपनी संस्था सेवा सुगंधम की स्थापना कि जिसके माध्यम से लगातार उनका जीवन जनभावना की सेवा से ओतप्रोत रहा ।

टिकेंद्र उपाध्याय के जनसेवा कार्य का उल्लेख: उनके कार्यो का उल्लेख करे तो अब तक इन्होने हिंदु-मुस्लिम , अनुसूचित जनजाती एवं पिछड़ा वर्ग जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठिक नही थी जिनके घर पर बेटिया विवाह योग्य होती थी और उनके विवाह के लिए उनके पिता चिंतिंत रहते थे , उनकी चिंता को दुर करते हुए उनको किसी भी प्रकार का कर्ज मे न डुबने देते हुए टिकेंद्र उपाध्याय आगे आए और इनकी सहायता करते हुए बेटियो का विवाह सम्पन्न करवाया और कन्यादान करने का पुण्य कमाया और एक या दो नही अब तक टिकेंद्र उपाध्याय ने 12 निर्धन कन्याओ का विवाह पुरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया उसमे कई विकलांक वर-वधु का विवाह भी संपन्न हुआ । ग्राम के ऐसे 3 गरीब बेटीयॉ जो सिलाई में निपुर्ण थी जिसे सिलाई मशीन देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सहयोग प्रदान किया । तक अब तक तीन दिव्यांग भाई बहनों को ट्राईसाईकिल प्रदान किया ।2013 मे आरूषि दुबे जो पैसो की तंगी के चलते उच्च शिक्षा पाने मे असमर्थ हो रही थी जिसके लिए टिकेंद्र उपाध्याय आगे बढ़े और 28000 रूपए की राशि शिक्षा हेतु प्रदान कर उसकी आर्थिक मदद की।

उपलब्धियॉ एवं सम्मान

दिल्ली दुरदर्षन द्वारा एक मुलाकात कार्यक्रम के प्रसारण मे समाज सेवी के रूप मे आमंत्रित हुए , संयुक्त सचिव आर्यावर्त सेवा संस्थान रायपुर द्वारा सम्मानित हुए , पतंजति योग समिति एवं सिद्धपीठ महामाया मंदिर ग्राम सांकरा ने सम्मानित किया । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्मश्री डॉ महादेव प्रसाद पांडे द्वारा पद्मश्री सम्मान के लिए अनुशंसा,विधायक देव जी भाई पटेल के द्वारा सम्मान,जेसीआई रायपुर द्वारा सर्वश्रेष्ठ युवा समाजसेवी सम्मान,तिल्दा प्रेसक्लब द्वारा सम्मान,जीके टीएमटी द्वारा सर्वश्रेष्ठ समाजसेवा का सम्मान,निको ग्रुप द्वारा सम्मान,छतीसगढ मनवा कुर्मी समाज द्वारा सम्मान ऐसे कई सम्मान एवं उपलब्धियां अपने नाम टिकेंद्र उपाध्याय ने अपने एवं सेवासुगंधम समिति के नाम की ।

कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने करपात्री स्कूल में संचालित सुपर 50 नि:शुल्क पीएससी कोचिंग का किया निरीक्षण

कवर्धा (नवप्रदेश)। कबीरधाम जिले में राज्य शासन के मंशानुरूप कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में कबीरधाम जिले के प्रतिभावान छात्रा-छात्राओं को राज्यस्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के तैयारियों के लिए सुपर 50 निःशुल्क पीएससी कोचिंग दी जा रही है। हाल ही में प्रतिभागियों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए वरियता सूची में 50 प्रतिभागियों का चयन किया गया है और उन्हें निःशुल्क पीएससी परीक्षा 2020 की तैयारी हेतु कोचिंग दिया जा रहा है। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा द्वारा आज करपात्री स्कूल में संचालित सुपर 50 निःशुल्क पीएससी कोचिंग क्लास पहुंचकर प्रतिभावान छात्र-छात्राओं से आवश्यक चर्चा की।

कलेटर रमेश कुमार शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को सफलता के लिए टिप्स भी दिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि मेहनत हर विद्यार्थी करता है लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती हैं जिनको सही मार्गदर्शन मिला है। सही मार्गदर्शन ही सफलता तक ले जाती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन काल में समय का बहुत महत्व होता है।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

केंद्र कर रहा बारगेनिंग...

एस्ट्रोजेनका के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है।

वाशिंगटन हिंसा में....

को याद रखा जायेगा, जिसे मौजूदा राष्ट्रपति द्वारा उकसाया गया है, जो कानूनी तरीके से हुये चुनाव के परिणाम को लेकर आधारहीन झूठ बोल रहे हैं। यह हमारे देश के लिये अपमान और बहुत शर्म की बात है। रिपब्लिकन नेता अपने समर्थकों को चुनाव के बारे में सच्चाई बताने को तैयार नहीं हैं। रिपब्लिकन नेता या तो सच्चाई को अनदेखा करते रहें या फिर वास्तविकता को स्वीकार करें। '

राजिम सिर्फ शहर नहीं...

उन्होंने कहा कि राजिम मेले के दौरान साधु-संतों, शासकीय कर्मचारियों तथा बाहर से आने वाले अन्य लोगों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए चिन्हित स्थल पर सभी आवश्यकत इंतजाम तथा निर्माण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। मड़ई-मेले हमारी पहचान से जुड़े हुए हैं। बघेल ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि महादेव घाट पर आज मेले के लिए जगह नहीं बची, ऐसी हालत राजिम में निर्मित नहीं होने दी जाएगी।

शासकीय कर्मियों को...

एवं 1 जनवरी 2021 में ही स्वीकृत कर वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे। वित्त विभाग द्वारा भुगतान प्रक्रिया के संबंध में 3 जुलाई 2020 को दिशा-निर्देश दिए गए थे। जिसके तहत वित्त विभाग द्वारा केवल देय वार्षिक वेतन वृद्धि को विलंबित रखने को कहा गया था।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202101112400005
अ-2/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रवीण यादव पिता श्री राजाराम यादव वगै. द्वारा ग्राम धनसुली प.ह.नं. 13 में स्थित भूमि खसरा नं. 421/1 का टुकड़ा रकबा 0.40 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्न निर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.40 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन औद्योगिक प्रयोजन में करने का निवेदन किया है, उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 05/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 06/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील

सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202101112400010
अ-2/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक सोमकांत वर्मा पिता श्री टी.आर. वर्मा निवासी रायपुर द्वारा ग्राम नरदहा प.ह.नं. 01 में स्थित भूमि खसरा नं. 1455 का रकबा 2295 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्न निर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 2295 वर्गफीट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है, उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 05/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील

सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202101112400011
अ-2/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक अक्षय राठोड़ पिता श्री ईश्वरलाल राठोड़ निवासी रायपुर द्वारा ग्राम सेमरिया प.ह.नं. 01 में स्थित भूमि खसरा नं. 930/5 का रकबा 0.01 हे. याने 1100 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.01 हे. याने 1100 वर्गफीट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है, उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 05/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील

सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 174/20-21
वार्ड का नाम- शंकर नगर-30

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि शंकर नगर 30 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ फ्लैट नं. 101 प्रथम तल विनित स्टेट जो कि निगम अभिलेख में श्री अजय खतरी s/o अर्जुनदास खतरी के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती नसरीन बागडिया w/o मो. फिरोज बागडिया रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक 07/01/21 — **जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-3, नगर पालिक निगम, रायपुर**

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 175/20-21
वार्ड का नाम- महात्मा गांधी-12

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी 12 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ शाप नं. 19 श्याम स्केयर पण्डरी जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती कुसुम लखानी w/o अनिल कुमार लखानी के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती गोपीबाई लालवानी w/o मोहनलाल लालवानी रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक 07/01/21 — **जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-3, नगर पालिक निगम, रायपुर**

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 176/20-21
वार्ड का नाम- महात्मा गांधी-12

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी 12 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ शाप नं. 146 श्याम स्केयर जो कि निगम अभिलेख में ए.बी.सी. बिल्डर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल s/o अशोक अग्रवाल के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती ज्योति गजवानी w/o नरेश गजवानी रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक 07/01/21 — **जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-3, नगर पालिक निगम, रायपुर**

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 177/20-21
वार्ड का नाम- महात्मा गांधी-12

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी 12 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ शाप नं. 152 श्याम स्केयर जो कि निगम अभिलेख में ए.बी.सी. बिल्डर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल s/o अशोक अग्रवाल के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती ज्योति गजवानी w/o नरेश गजवानी रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक 07/01/21 — **जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-3, नगर पालिक निगम, रायपुर**

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 178/20-21
वार्ड का नाम- महात्मा गांधी-12

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी 12 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ शाप नं. 147 श्याम स्केयर जो कि निगम अभिलेख में ए.बी.सी. बिल्डर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल s/o अशोक अग्रवाल के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती ज्योति गजवानी w/o नरेश गजवानी रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक 07/01/21 — **जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-3, नगर पालिक निगम, रायपुर**

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 179/20-21
वार्ड का नाम- महात्मा गांधी-12

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी 12 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ शाप नं. 154 श्याम स्केयर जो कि निगम अभिलेख में ए.बी.सी. बिल्डर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल s/o अशोक अग्रवाल के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती ज्योति गजवानी w/o नरेश गजवानी रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक 07/01/21 — **जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-3, नगर पालिक निगम, रायपुर**

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 180/20-21
वार्ड का नाम- महात्मा गांधी-12

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी 12 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ शाप नं. 156 श्याम स्केयर जो कि निगम अभिलेख में ए.बी.सी. बिल्डर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल s/o अशोक अग्रवाल के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती ज्योति गजवानी w/o नरेश गजवानी रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक 07/01/21 — **जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-3, नगर पालिक निगम, रायपुर**

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-3, सड्डू, रायपुर (छ.ग.)
कामर्शियल काम्पलेक्स, सेक्टर-8 द्वितीय तल, सड्डू, रायपुर
Email ID emzoneii@yahoo.com GST No.22AAECA978302ZP

//आम सूचना//

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दीनदयाल आवास योजनांतर्गत धनसुली रायपुर में स्थित एलआईजी भवन क्रमांक-04 श्रीमती सुशील देवी आडवानी पति श्री सुरेश आडवानी को आफर/ स्ववित्तीय/ भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित किया गया था। उनके द्वारा दिनांक 20.05.2009 को अपने नाम पर सेलडीड/ लीजडीड/विक्रय विलेख पंजीयन कराने के उपरांत श्रीमती मोनिका चौबे पिता श्री कृष्ण चौबे निवासी- हाउस नं. 298, पानी टंकी के पास, धनसुली रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को विक्रय करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भवन के विक्रय के संबंध में किसी व्यक्ति शासकीय व अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-3, सड्डू, रायपुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा पत्र

पक्षकार का नाम- श्री शिवनारायण पाण्डेय
आनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202012100400473

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री शिवनारायण पाण्डेय आ. श्री लक्ष्मीनारायण निवासी शांति नगर कोहका भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172/59 (2)(5) के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
कोहका प.ह.न. 19 तह.व जिला दुर्ग	6483	0.020हे./ 2145 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 22.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

उद्घोषणा

पंजीयन क्र.

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक हाईव्स बिल्डकॉन पार्टनर अश्वनी मेहरा निवासी केलाबाड़ी दुर्ग द्वारा साकिन धनोरा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 575 रकबा 0.026 हे. भूमि हेतु कालोनाइजर प्रमाण पत्र आवेदन खसरा बी1 की प्रति ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा यूको बैंक दुर्ग द्वारा जारी बैंक गारंटी रुपए 1 लाख एवं 3 वर्ष आयकर की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में आवेदक को कालोनाइजर प्रमाण पत्र जारी किए जाने में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन 15 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 30/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किय गया।

सील

अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. अ/6 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक तामेश्वर गायकवाड़ पिता स्व. पुनीतराम गायकवाड़ साकिन थनौद द्वारा ग्राम थनौद प.ह.नं. रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 2736/1 रकबा 1.0060 हे. जो उसके स्व. पुनीतराम गायकवाड़ के नाम पर दर्ज है, की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 04/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

सील

अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

उद्घोषणा

पंजीयन नं. 202012100400053

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक शैलेश ओइका वीरेन्द्र बहादुर ओइका निवासी धमना तहसील पाटन द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.नं. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 1020/23 रकबा 0.017 हे. /1800 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 1/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील

अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला-दुर्ग

pnb — Oriental | United — Together for the better

शाखा कार्यालय, रायपुर रोड, धमतरी (छ.ग.) पिन- 492013, फोन : 07722-236473, ईमेल: bo4618@pnb.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (1)] के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नैशनल बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) सहपठित नियम 3 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य (कब्जा) नीचे वर्णित दिनांक को ग्रहण कर लिया है तथा जिसका विवरण अधोवर्णित है।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिये आमंत्रित किया गया है ।

ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय पंजाब नैशनल बैंक के मूल ब्याज व अन्य व्यय के भार के अधीन होगा जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	गारंटर/ऋणी का नाम/ शाखा का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति का स्वामी	मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि / कब्जा के प्रकार	मांग पत्र तिथि को बकाया राशि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	मेसर्स- माँ विन्ध्यवासिनी ट्रैक्टर्स प्रोप. श्री सुरेन्द्र मेहता श्री सुरेन्द्र मेहता पिता का नाम- श्री आर.एम. मेहता शाखा- धमतरी (छ.ग.)	1. श्री सुरेन्द्र मेहता के नाम पर प्लॉट नं. 6/4, खसरा नं. 207, 208/1 व 544, प.ह.नं. 16, डाक बंगला, वार्ड नं. 18, धमतरी, आर.एन.एम. धमतरी, तहसील व जिला- धमतरी, क्षेत्रफल- 963 वर्गफिट में स्थित आवासीय मकान का समस्त भाग तथा अंश । चौहद्दी: उत्तर- सड़क, दक्षिण- रविन्द्र कुमार का मकान, पूर्व- रविन्द्र कुमार का मकान, पश्चिम- रविन्द्र कुमार का मकान । 2. श्री सुरेन्द्र मेहता के नाम पर प्लॉट नं. 03, रामपुर वार्ड, वार्ड नं. 35, खसरा नं. 1225/2, 1229 व 1226/4, सपना पिंक सिटी, धमतरी, आर.एन.एम. धमतरी, तहसील व जिला- धमतरी, क्षेत्रफल- 1500 वर्गफिट में स्थित आवासीय प्लॉट का समस्त भाग तथा अंश । चौहद्दी: उत्तर- अन्य की भूमि, दक्षिण- सड़क, पूर्व- प्लॉट नं. 04, पश्चिम- प्लॉट नं. 02.	11.12.2019 / 02.01.2021 / सांकेतिक कब्जा	₹ 1,73,00,102.82 एवं दिनांक 30.11.2019 से अतिरिक्त ब्याज व अन्य खर्चे	श्री सलीम खान

दिनांक : 07.01.2021 स्थान : धमतरी (छ.ग.)

प्राधिकृत अधिकारी / पंजाब नैशनल बैंक

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

न्यूज गैलरी

7 से 26 जनवरी तक के लिए सचिव संघ के आंदोलन की रूपरेखा तैयार

लवन। प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा प्रांतीय आव्हान पर अपनी एक सुत्रीय मांग को लेकर विगत 26 दिसम्बर से आज 14 दिन से लगातार धरना स्थल पर शांति पूर्वक अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की पहल अब नहीं होने से अपनी आंदोलन को उग्र करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष तुलसी साहू द्वारा आगामी रूपरेखा तैयार किया गया है। बलौदाबाजार जिलाध्यक्ष कामता साहू एवं जिला प्रवक्ता हरिकिशन वर्मा, संघ सचिव अग्नि निर्मलकर ने बताया कि पंचायत सचिवों द्वारा अपनी एक सुत्रीय मांग 2 वर्ष परिवेक्षा अवधी समाप्त के पश्चात शासकीकरण करने 14 दिन से आंदोलनरत है। वही शासन के 29 विभागों के कामकाज का संचालन प्रभावित होने के बाद भी मांगो पर ध्यान नहीं देने से आंदोलन को उग्र करने का निर्णय लिया गया है। आगामी रूपरेखा के अनुसार 6 जनवरी को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा आंदोलन का समर्थन 7 जनवरी को धरना स्थल में हवन यज्ञ, 8 जनवरी को सचिवों द्वारा भीख मांगकर शासन को सहयोग, 9 जनवरी को नगाड़ा, थाली बजाकर हल्ला बोल, 10 जनवरी को भैंस के आगे बीन बजाना, 12 से 20 जनवरी तक प्रांत स्तर पर भुख हड़ताल, 25 जनवरी को परिवार सहित रैली राजधानी मे, 26 जनवरी को राजधानी में धरना प्रदर्शन, चक्का जाम एवं जंगी प्रदर्शन किया जावेगा।

सचिवों व रोजगार सहायकों को मिल रहा समर्थन मांगें मनवाने के लिए किया सदबुद्धि यज्ञ हवन

साजा। ग्राम पंचायत सचिव संघ एवं रोजगार सहायक संघ का हड़ताल अनवरत जारी हैं। आज गुरुवार को शासन प्रशासन को मांग पूर्ण करने के लिए सद्बुद्धि हवन यज्ञ धरना मंच स्थल पर किया गया। वहीं इनके धरना को समर्थन देने के लिए जनपद पंचायत के मनरेगा शाखा के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा धरना स्थल पर आकर समर्थन किया गया तथा जनपद सदस्य कामता प्रसाद द्वारा भी समर्थन किया गया। इस अवसर पर पंकज सिंह राजपूत, नीलकमल साहू, टीकम वर्मा, भुनेश्वर पटेल, आत्मा साहू, नरेश साहू, विजय सिंह, छन्नू सिंह, राजकुमार, शिवकुमार, अर्जुन सिंह, कुँवर सिंह, बालूदास, नमिता, हिरौंदी, सुखदास, नान्हू साहू, थलेश साहू, रोशन साहू, तिलक साहू, सुरज तिवारी, निशिकांत, द्वारिका साहू, टाँगेंद्र निर्मल, पटेल कुलदीप, देवी वर्मा, अंजनी साहू, रोजगार सहायक संघ से माधव दास मानिकपुरी, थानु साहू, देवनाथ साहू, गंगदेव साहू, शैलेश राजपूत, टहल साहू, नीलम जांगड़े, रागनी राजपूत, पूनम भुवाल, एवं अन्य सचिव एवं रोजगार सहायक संघ के साथीगण उपस्थित थे।

कोदवा के व्यापारी संघ मिलन व सम्मान समारोह में शामिल हुए विधायक आशीष छाबड़ा

साजा। बेरला ब्लॉक के ग्राम कोदवा में युवा व्यापारी कल्याण संघ द्वारा आयोजित व्यापारी मिलन व सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आशीष छाबड़ा शामिल हुए। अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य टीआर साहू, विशेष अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष हीरा बाई वर्मा, जनपद सदस्य राजू पारकर, व्यापारी संघ के संरक्षक राजकुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। विधायक आशीष छाबड़ा ने नवनियुक्त युवा व्यापारी कल्याण संघ कोदवा के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया।

हिन्दी माध्यम स्कूल को नहीं हटाने की मांग

खरोरा। स्कूल शिक्षा विभाग में ब्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति करने और अग्रेंजी माध्यम स्कूल खोले जाने पर हिंदी माध्यम के स्कूल को बंद नहीं करने की मांग को लेकर ब्याख्याता संघ का प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष खनिज विकास निगम एवं उपाध्यक्ष प्रदेश काग्रेस कमेटी गिरीश देवांगन से उनके निवास खरोरा में मुलाकात किये।छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ का प्रतिनिधि मंडल प्रांताध्यक्ष राकेश शर्मा, महामंत्री राजीव वर्मा जिला उपाध्यक्ष हरीश देवांगन के नेतृत्व में मिलकर स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं होने की समस्या से अवगत कराया । प्रवक्ता जितेंद्र शुक्ला ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने श्री देवांगन को अवगत कराया कि प्रदेश में सभी विभागों में पदोन्नति हो रही है परंतु शिक्षा विभाग में छ वर्षो से पदोन्नति नहीं होने के कारण सैकड़ों व्याख्याता सेवानिवृत हो गए हैं।और यदि पदोन्नति शीघ्र नहीं किया गया तो प्रदेश के ट्राइबल एवं शिक्षा विभाग के सैकड़ों वरिष्ठ व्याख्याता बिना पदोन्नति के सेवा निवृत हो जाएंगे।

पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक संघ की संयुक्त हड़ताल जारी

- पंचायत सचिव संघ एवं रोजगार सहायक संघ द्वारा संयुक्त रूप से हड़ताल को उग्र करते हुए आगामी रणनीति के तहत हड़ताल की रूप रेखाजारी तय की गई

नवप्रदेश संवाददाता

खरोरा। प्रदेश पंचायत सचिव छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष तुलसी साहू एवं प्रदेश संगठन सचिव लखेश्वर यादव द्वारा पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक संघ का अनिश्चित कालीन अपने मांगो को लेकर जारी हड़ताल जो विगत 26 दिसम्बर से पंचायत सचिवों का और रोजगार सहायकों का अनिश्चित कालीन हड़ताल 30 दिसम्बर 2020 से लगातार चल रहा है किंतु आज तारीख तक शासन द्वारा हमारी मांगो पर किसी प्रकार का विचार ,सकारात्मक पहल नही किये जाने के कारण हड़ताल को आगे बढ़ाते हुए आज से हड़ताल का रूप रेखा जारी किया गया है।

कार्यक्रम का रूप रेखा निम्नानुसार है

06 जनवरी 2021 कोत्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों जैसे सरपंच संघ ,जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायतअध्यक्ष से हड़ताल का समर्थन प्राप्त करना ,07 जनवरी 2021 को समस्त धरनास्थल में शासन /प्रशासन को सद्बुद्धि हेतु पूजा हवन/यज्ञ करना दिनांक 08 जनवरी 2021 को प्रत्येक धरनास्थल में भीख मांगकर धन संग्रहण करना एवं छत्तीसगढ़ शासन को दान करना दिनांक 09 जनवरी 2021 को समस्त ब्लाक मुख्यालय में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत थाली/ नगाड़ा/टीपा बजाकर हल्ला करना , दिनांक 11 जनवरी 2021 को समस्त धरनास्थल में भैंस लाकर उसके सामने बिन बजाना दिनांक 12 जनवरी से 20-1-2021तक समस्त धरनास्थल में क्रमिक भुख हड़ताल प्रारंभ किया जाएगा और दिनांक 21 जनवरी से 24 जनवरी तक प्रांत स्तर धरना बूढ़ातालाब रायपुर में भूख हड़ताल करना तथा दिनांक 25-01-2021 को राजधानी रायपुर में परिवार सहित धरनास्थल में जंगी रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना एवं दिनांक 26 -01-21 से समस्त सचिवों द्वारा धरना प्रदर्शन राजधानी रायपुर में किया जाना है । यह जानकारी प्रदेश पंचायत सचिव संघ सोशल मीडिया प्रभारी कोमल प्रसाद साहू द्वारा दिया गया ।

एक वर्ष का कार्यकाल पूरा, पालिका अध्यक्ष मेमन ने गिनाई उपलब्धियां

कहा-कोरोना काल और बजट के अभाव में प्रभावित हुए विकास कार्य

नवप्रदेश संवाददाता

गरियाबंद। नगर का विकास मेरी पहली प्राथमिकता रही है और इसके अनुरूप ही योजनाबध्द तरीके से कार्य करते हुए मैंने और पूरे पालिका की टीम ने अपना एक साल का कार्यकाल पूरा किया है। गरियाबंद नगर स्वच्छ, सुंदर और सुव्यस्थित नगर के रूप में अपनी पहचान स्थापित करें इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे है। बिते एक साल में हमने इस दिशा में कई कार्य पूर्ण भी किए है। आने वाले समय में नगर के चमुमुखी विकास की रूपरेखा हमने तय कर ली है। उक्त बाते नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन ने पत्रकारो से चर्चा करते हुए कही। उन्होने विश्वास दिलाया कि आगामी चार साल तक वे और पूरी पालिका की टीम गरियाबंद के विकास के लिए पूरी ईमानदारी और मेहतन के साथ करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सोनटेके भी मौजुद थे। ज्ञात हो कि गतवर्ष 06 जनवरी को द्वय नपा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। बुधवार को उनको एक साल पूरा हो गया।

पत्रकारो से चर्चा में एक साल की उपलब्धि बताते हुए नपा अध्यक्ष मेमन ने कहा कि कोरोना काल के बाद भी नगर के विकास के लिए हमने पूरा प्रयास किया। हालाकि कोरोना संक्रमण तथा बजट के अभाव में कई बड़े कार्य प्रभावित हुए परंतु कोरोना काल में भी हमने लोगो की सेवा करने के साथ नगर के विकास में भी शत प्रतिशत ध्यान दिया। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि एक साल के दरमियान नगर के दो प्रमुख तालाब छिंद तालाब और महरीन तालाब में सफाई और सौदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। जहां महरीन तालाब की स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है। इसके अलावा नगर में सफाई व्यवस्था सुधारी गई। अंधेरेयुक्त गलियो सहित सभी चैक चैराहो और सड़को पर लाइट की व्यवस्था की गई। इसके अलावा सभी वार्डो में पेयजल आपूर्ति और नाली निकासी का भी प्रबंध किया गया। उन्होने बताया कि आगामी साल में सर्वसुविधायुक्त गार्डन, धूलमुक्त गरियाबंद, पर्याप्त पेजयज आपूर्ति, बेहतर पार्किंग व्यवस्था, सुव्यवस्थित बाजार सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी प्रस्तावति है। पत्रकारवार्ता में सभापति आसिफ मेमन, वंश गोपाल सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि प्रहलाद ठाकुर भी मौजुद थे।

एक साल में 4 करोड़ 64 लाख के निमार्ण कार्य, 125 को मिला पीएम आवास

नगर अध्यक्ष ने बताया कि एक साल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 3 करोड़ रूपए की लागत से 125 हितग्राहियो आवास निर्माण कर सौंपा गया। इसके अलावा गौरवपथ निर्माण कार्य में 28 लाख, महरीन डबरी सौदर्यीकरण कार्य में 6.50 लाख, नगर के विभिन्न वार्डो में सीसी सड़क व नाली निर्माण में 65 लाख, गांधी मैदान में मंगल भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य 14 लाख, अध्यक्ष एवं पार्षद निधि से विकास कार्या में 42 लाख, कांजी हाउस निर्माण 3 लाख, प्रतिक्षा बस स्टैण्ड निर्माण कार्य 2.50 लाख, शहरी विद्यृतीकरण कार्य लागत 3 लाख रूपए सहित कई कार्य किए गए। कोरोना काल के दौरान 20 हजार मास्क वितरण, राशनकार्ड विहिन लोगो एवं बाहरी फसे मजदुरो को निशुल्क राशन सामाग्री वितरण के कार्य किए गए।

हितग्राही मूलक योजना में 782 से अधिक लाभांन्वित

एक साल के दौरान हितग्राही मूलक योजना अंतर्गत 76 हितग्राहियो को एपीएल कार्ड, 235 हितग्राहियो को बीपीएल कार्ड, 28 लोगो को जन्म प्रमाण पत्र, 49 व्यक्तियो के मृत्यु प्रमाण, 15 जोड़े को विवाह प्रमाण पत्र, 12 मृतक परिवारो को श्रध्दांजली योजना अंतर्गत 24 हजार रूपए भुगतान, 36 व्यापारियो को व्यापार अनुज्ञा, 35 लोगो को दुकान स्थापना गुमास्ता प्रमाण पत्र, 58 व्यक्ति को नामांतरण अनुमति, 12 लोगो भवन अनुज्ञा तथा 193 लोगो को विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दा पेंशन योजना में 5 वृध्दो (प्रत्येक) को 350 रूपए प्रतिमाह, विकलांग पेशन योजन में एक व्यक्ति को 500 रूपए प्रतिमाह, विधवा पेंशन में 7 महिलाओ (प्रत्येक) को 350 रूपए प्रतिमाह, सीएम पेंशन योजना में 20 लोगो (प्रत्येक) को 350 रूपए प्रतिमाह, राष्ट्रीय परिवार सहायता में 2 व्यक्ति में 20 हजार प्रति व्यक्ति प्रदान किए गए।

कोशल मंच ने की आरंग में भी 'मोर आरंग' सेल्फी जोन बनाने की मांग

आरंग। गुरुवार को कौशल साहित्य कला मंच आरंग के पदाधिकारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रशेखर चंद्राकर से सौजन्य मुलाकात कर आरंग बस स्टैंड पर स्थित राजा मोरध्वज की प्रतिमा की साफ-सफाई एवं रंग रोगन तथा मोर रायपुर की तर्ज पर आरंग में भी ÷मोर आरंग÷ सेल्फी जोन बनाने की मांग की, अध्यक्ष चंद्राकर और मंच के सदस्यों ने इस विषय पर खुलकर चर्चा की और कह कि पौराणिक ऐतिहासिक नगर आरंग की प्रसिद्धि और भी अधिक प्रचार-प्रसार के माध्यम से फेकस किया जाएगा। इस अवसर पर मंच के पदाधिकारी गण विनोद गुप्ता, अनुपनाथ योगी,हरीश दीवान व अरविंद वैष्णव एवम सजल चंद्राकर युवा नेता , टुकेश्वर लोधी (पत्रकार) की उपस्थिति रही।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित कांग्रेसियों ने की पुतला दहन करने वालों के निष्कासन की माँग

गरियाबंद। जिले के बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा मे कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा जिन नेताओं का पुतला दहन किया गया जिस पर जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष भाव सिंह साहू, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस ममता राठौर, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष संदीप सरकार,हस्द्ध जिलाध्यक्ष केशु सिन्हा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण हाफिज खान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शहर दिलीप सिन्हा,प्रदेश महामंत्री खेल प्रकोष्ठ हरमेश चावड़ा, शहर महिला अध्यक्ष ललिता सिन्हा ने संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों पर कड़ी कारवाई की माँग की है द्य उक्त पदाधिकारियो ने सामूहिक रूप से कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उच्च पदाधिकारियों द्वारा ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई हैद्य इस नियुक्ति मे जिले के किसी भी नेता का किसी भी प्रकार से कोई भी लेना देना नही है द्य इस प्रकार से विरोध कर पुतला दहन करना अनुचित व पार्टी फेरम के अनुशासन के विरूद्ध है। जो लोग पार्टी के सिद्धांतों और नियमो के परे जाकर इस प्रकार का कृत्य करते है वो सरासर गलत और अक्षम्य है द्य इस तरह के कृत्य करने वाले दोषियें को तत्काल पार्टी की सदस्यता समाप्त करते हुए 6 वर्ष के निष्कासित किया जाना चाहिए।

धान खरीदी को प्रभावित करने केन्द्र से नहीं भेजा जा रहा बारदाना : गुरूदयाल

कहा-धान खरीदी को लेकर भाजपा ले रही झूठ का सहारा

लवन। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के द्वारा 1 दिसम्बर से धान की खरीदी की जा रही है। जिसमें लगातार केन्द्र की मोदी सरकार व भाजपा के नेताओं द्वारा धान खरीदी को असफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विदित हो कि सन् 2014 में स्वामीनाथन कमेटी की लम्बी-लम्बी बातें किया करते थे लेकिन भाजपा के नेतागण उस विषय पर कुछ नहीं कर पाये। किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी इनके द्वारा किया गया था, जिन्हें भी पूरा नहीं कर पाये। वही छत्तीसगढ़ सरकार ही एक मात्र सरकार है जो 2500 रूपये में किसानों का धान खरीद रही है, उपरोक्त बातें ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गुरूदयाल यादव ने कही। लवन नगर के एक निजी हॉटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में गुरूदयाल यादव ने कहा कि समर्थन मूल्य 1815 रूपये केन्द्र की सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन 685 रूपये किसानों को सहायता राशि राज्य की भूपेश बघेल की सरकार द्वारा दी जा रही है। इसी वजह से ही केन्द्र की सरकार द्वारा बारदाने की समस्या को लेकर व्यवधान उत्पन्न की जा रही है। पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी तो भाजपाई लोग बड़ी-बडी बाते करते थे। उनके द्वारा 2100 रूपए में धान खरीदने की बात कहा गया था।

भूपेश को बदनाम करने की साजिश से प्रदेश के किसान अच्छी तरह वाकिफ : अवस्थी

देवभोग। भाजपा किसानों पर कुछ इस तरह एहसान करती है कि वह आंखे छीन लेती है और चश्मा दान करती है। तभी आज पूरे देश के किसानों की आय दुगनी करने की जगह उनकी खेती किसानी को छीनने पर लगी हुई है। मतलब किसानों के साथ केंद्र सरकार दोहरी नीति अपना रही है शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ मोदी सरकार भेदभाव रवैया अपना रही है। क्योंकि राज्य की भूपेश सरकार समर्थन मूल्य में धान खरीदने के साथ राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों के हाथ को मजबूत कर रही है। उक्त बातें पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष दुर्गाचरण अवस्थी ने कहा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला उपाध्यक्ष जिला महामंत्री अरुण मिश्रा ने प्रेस वार्ता लेते हुए कहा कि भूपेश बघेल की सरकार बीते वर्ष से अब तक किसानों की पूरी पूरी धान लेने के साथ राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दे रही है । लेकिन मोदी सरकार अपनी खिलाफत दर्ज कराते हुए बारदाना धान उठाव सहित अन्य व्यवधान डाल रही है ।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 01.01.2021

(ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना)
प्रथम आमंत्रण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से ऑनलाईन निविदाएं प्रपत्र ''अ'' में प्रतिशत दर पर दिनांक 20.01.2021 तक आमंत्रित की जाती है :-

निविदा आमंत्रण सू.क्र./सिस्टम क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में)
218/70523	बेमेतरा उपसंभाग के अंतर्गत मुख्यालय क्र. 1 एवं 2, कुसुमी, खण्डसरा उपखण्ड के विभिन्न मार्गों में पुलिय पुलिया का मरम्मत कार्य एवं डब्लू.एम.एम. बी.टी. पेच रिपेयर कार्य	80.00
219/70524	बेमेतरा उपसंभाग के अंतर्गत देवरी एवं जेवरा उपखण्ड के विभिन्न मार्गों में पुल पुलिया का मरम्मत कार्य एवं डब्लू.एम.एम. बी.टी. पेच रिपेयर कार्य	79.50
220/70525	नवागढ़ उपसंभाग के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में डब्लू.एम.एम. बी.टी. पेच रिपेयर कार्य	80.00
221/70526	साजा उपसंभाग के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में डब्लू.एम.एम. बी.टी. पेच रिपेयर कार्य	80.
222/70527	शासकीय स्नातकोत्तर दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव का रिनोवेशन कार्य	68.07

टीप
1. एनआईटी क्र. 218,219, 220 एवं 221 लोक निर्माण विभाग बेमेतरा संभाग से संबंधित है एवं एनआईटी क्र. 222 लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव संभाग से संबंधित है।
2. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब portal एवं विभागीय वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in से डाऊनलोड की जा सकती है।
3. पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर एन.आई.टी. क्रमांक एवं कार्य का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएं।

जी-86107/3

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग
दूरभाष - 0788-2210876

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग,
कार्यालय मुख्य अभियंता
महानदी गोदावरी कछार, रायपुर (छ.ग.)
ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
eProcurement Portal :http://eproc.cgstate.gov.in
(प्रथम आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्रमांक 70502/निविदा सूचना क्रमांक 16/वलेलि/2020-21 कसडोल, दिनांक 04.01.2021

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक **25.01.2021** समय **17:30** तक ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है :

कार्य का नाम : बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखण्ड बलौदाबाजार की खैरादतान जलाशय योजना के शीर्ष कार्य, वेस्ट वियर, हेड स्लूस एवं स्पील चैनल के आर.डी. 80 मी. पर 2.50 मी. फाल का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य तथा मुख्य नहर के आर.डी. 0 से 6150 मी. , हरदी माईनर के आर.डी. 0 से 1620 मी. एवं अमलडीहा माईनर के आर.डी. 0 से 480 मी. तक रिमाडलिंग एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य, 25 नग पक्के संरचनाओं (10 नग व्ही.आर.बी., 11 नग सुपर पेसेज, 01 नग एच.आर. एवं 03 नग डी.सी.) 03 नग इनलेट एवं 19 नग आऊटलेट का निर्माण कार्य एवं पुरानी संरचनाओं का मरम्मत कार्य।

अनुमानित लागत : रुपए 498.44 लाख

अन्य वितरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट http://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक **11.01.2021** समय 17:31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किए जा सकते हैं।

नोट : निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

जी-86104/4

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल
कृते, मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार
जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला क्रमांक 202101100900022
विषय-अ-6 मामले की श्रेणी-राजस्व सन् 2020-21
छाटा प.ह.नं. 00023(864/4(0.1800 हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - देवेन्द्र कुमार,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम छाटा प.ह.नं. 23 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक देवेन्द्र कुमार पिता स्व. जालम सिंह निवासी ग्राम छाटा द्वारा ग्राम छाटा प.ह.नं. 23 तहसील पाटन जिला दुर्ग स्थित अपने पिता जालम सिंह पिता मेहत्तर के नाम दर्ज भूमि ख.नं. 864/4, 864/3, 864/2, 859/1, 735/9, 735/7, 735/6, 735/1, 734/10, 725/1, 380, 377/2, 354/1 रकबा क्रमश: 0.18, 0.10, 0.74, 0.35, 0.44, 0.15, 0.70, 0.94, 0.22, 0.24, 0.15, 0.08, 0.14, 0.37 हे. में खातेदार जालम सिंह का दिनांक 02.01.2020 को फौत होने से नाम विलोपित कर फौती नामांकरण से अपना एवं अन्य वैध वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु प्रस्तुत आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अत: देवेन्द्र कुमार पिता स्व. जालमसिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन आधार पर उपरोक्तानुसार नामांतरण की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 22.01.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 05/01/2021 को जारी किया जाता हैं।

सील
तहसीलदार
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक 202101101000059
विषय-अ-5 मामले की श्रेणी-राजस्व सन् 2020-21
कुरूद प.ह.नं. 00050 (हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - डा. अंजू गुप्ता
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक डा. अंजू गुप्ता पति डा. ओ.पी. गुप्ता एवं अन्य पता-कुरूद द्वारा ग्राम कुरूद प.ह.नं. 19 अ रा.नि.मं. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख.नं. 537 का टु. नया ख.नं. 1545 रकबा 4.85 अंजु गुप्ता वगैरह के नाम पर तथा ख.नं. 1547 रकबा 5.66 हे. केदारनाथ गुप्ता के वारिसों सुधीर गुप्ता वगैरह के नाम पर दर्ज है। मौका पर स्थल एवं कब्जा के आधार पर बंदोबस्त के दरम्यान हुए त्रुटि सुधार किए जाने आवेदन प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था को उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 23.01.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 06/01/2021 को जारी किया जाता हैं।

सील
अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला क्रमांक 202101100900021
विषय-अ-74 मामले की श्रेणी-राजस्व सन् 2020-21
मानिकचौरी प.ह.नं. 00027 (544/3(0.0700 हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - श्रीमती सीमा साहू,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम मानिकचौरी प.ह.नं. 27 तहसील पाटन, जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका सीमा साहू पति रमेश साहू निवासी धौराभाठा तहसील पाटन जिला दुर्ग द्वारा ग्राम मानिकचौरी प.ह.नं. 27 तहसील पाटन जिला दुर्ग स्थित अपने नाम दर्ज भूमि ख.नं. 544/3, 562/1, 583/1, 586 रकबा 0.70, 0.13, 0.33, 0.27 हे. कुल ख.नं. 04 कुल रकबा 0.80 का मूल ऋण पुस्तिका गुम जाने से द्वितीय ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण विचाराधीन है।

अत: आवेदिका सीमा साहू पति रमेश साहू द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उपरोक्त भूमि का आवेदक को द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 22.01.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 05/01/2021 को जारी किया जाता हैं।

सील
तहसीलदार
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला क्रमांक 202101100900020
विषय-अ-74 मामले की श्रेणी-राजस्व सन् 2020-21
मानिकचौरी प.ह.नं. 00027 (537/3(0.2200 हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - श्रीमती पूर्णिमा बाई,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम मानिकचौरी प.ह.नं. 27 तहसील पाटन, जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका पूर्णिमा बाई पिता सूरज राम निवासी राहुद तहसील पाटन जिला दुर्ग द्वारा ग्राम मानिकचौरी प.ह.नं. 27 तहसील पाटन जिला दुर्ग स्थित अपने नाम दर्ज भूमि ख.नं. 537/3 रकबा 0.22 हे. का मूल ऋण पुस्तिका गुम जाने से द्वितीय ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण विचाराधीन है।

अत: आवेदिका पूर्णिमा बाई पिता सूरज राम द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उपरोक्त भूमि का आवेदक को द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 22.01.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 05/01/2021 को जारी किया जाता हैं।

सील
तहसीलदार
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक 202101101000057
विषय-अ-6 मामले की श्रेणी-राजस्व सन् 2020-21
कोहका प.ह.नं. 00019 (हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - योगेश कुमार देवांगन,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक योगेश कुमार देवांगन पिता दौवाराम देवांगन पता- खुर्सीपार द्वारा ग्राम कोहका प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख. नं. 1592/1 रकबा 0.010 हे. /1200 वर्गफीट भूमि को रजिस्टर्ड दानपत्र के माध्यम से दानदाता श्री दौवाराम देवांगन आ. रामकिशुन देवांगन से दान प्राप्त किए जाने के आधार पर अपने नाम नामांतरण किए जाने बाबत आवेदन पत्र मय बैनामा की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था को उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 23.01.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 06/01/2021 को जारी किया जाता हैं।

सील
अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

क्षमता से अधिक भण्डारण व बारदाने की कमी से कई केन्द्रों में धान खरीदी प्रभावित होने की आशंका

नवप्रदेश संवाददाता

बैकुंठपुर। कोरिया जिले में दिसम्बर में लगभग 11 हजार के करीब किसानों ने सात लाख चार हजार दो सौ किवंटल के करीब बुधवार तक धान बेचा, जब कि छुट्टी छोड़कर जनवरी में अब 17 दिन खरीदी शेष है वही तीन बार टोकन कटने के नियम अनुशार अभी भी करीब 15 हजार किसान धान खरीदी केंद्रों में अपना धान बेचने पहुंच सकते है जब कि कुछ दिनों से जिले के आधा दर्जन खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी से टोकन के अनुशार खरीदी नही हो पा रहा जिससे किसानों में अब नाराजगी देखने को मिल रही वही अब बारदाना नही होने से अधिकारी भी अब किसानों का टोकन कम काटने का निर्देश समिति प्रबंधकों को दे रहे जब कि अब भी जिले में शेष बचे इन किसानों से लगभग 6 लाख किवंटल धान खरीदी का अनुमान लगाया जा रहा हैं पर जैसी स्थिति वर्तमान में धान खरीदी केन्द्रों में निर्मित है उससे किसान चिंतित व परेशान है। धान खरीदी केन्द्रो में बारदाना की कमी व धान का उठाव न होना धान खरीदी में बाधा उत्पन्न कर रहा है, वहीं भाजपा द्वारा बनायी गयी निगरानी समिति का आरोप है कि धान खरीदी केन्द्र के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी किसानों की नहीं सत्तापक्ष के ईशारों पर चल रहे हैं। जिससे किसान परेशान हो रहे है। खरीदी का लक्ष्य अभी बाकि है जिसे अब छुट्टी के दिनों को छोड़कर लगभग 17 दिनों में पूरा करना है। ऐसे में कैस होगा लक्ष्य पूरा किसानों के धान कैसे बिकेंगे समझ के परे है। कुछ किसान तो झंझटो से छुटकारा पाने व रकबा कट जाने से ग्राम व सहर के वयापारियो को ही औने पौने दाम में अपना धान बेच रहे या बेच

चुके है।

जिले में जैसे-जैसे धान खरीदी में तेजी आयी है वैसे-वैसे किसानों की परेशानी कम होने के बजाए बढ़ने लगी है। कई समितियों में धान का उठाव न होने की वजह से क्षमता से अधिक धान जाम है, परिसरों में धान रखने की जगह तक नहीं है।वही उठाव अब तक हुए खरीदी में केवल 38 प्रतिशत ही हुआ है वहीं अब बारदानें की कमी से नोटिस चस्पा कर यह बताया जा रहा हैं कि आज धान खरीदी व टोकन नही काटा जायेगा जब तक कि बारदाना उचित मात्रा में न उपलब्ध हो जाये ।वहीं बारदानें की कमी से नोटिस चस्पा कर यह बताया जा रहा है कि टोकन नहीं कटेगा। खास बात तो यह है कि इन समस्याओं के समाधान में विपणन व खाद्य विभाग के अधिकारीयों की कोई दिलचस्पी नहीं है। यह अधिकारी जरूरत पर धान खरीदी केन्द्रों में नहीं आते और फोन लगाने पर यह रिसीव नहीं करते। बारदाना उपलब्ध कराने के लिये सारे पीडीएस व राईस मिलो से बारदाना लिये गये फिर भी बारदाना की कमी बनी हुयी है। अधिकारी किसानों को यह कह रहे है कि आप बारदाना ले आईये उसके एवज में आपको 15 रूपये बारदाना के मिलेंगे। पर समस्या तो यह है कि बारदाना खुले बाजार में भी उपलब्ध नहीं है और जहां उपलब्ध है वहां 25 से 30 रूपये के दर से दी जा रही है पर किसानों को 15 रूपये ही शासन से मिलना है। जिससे भी किसान अब बारदाने को लेकर चिंतित हैं !

धान खरीदी नहीं होने से जाम

एक माह से अधिक समय धान खरीदी का हो चुका है। जिले के 33 धान खरीदी केन्द्र में 7 लाख किवंटल से अधिक धान खरीदी हो चुकी है वहीं उठ,व की बात करें तो 2 लाख 67 हजार किवंटल के करीब उठाव के लिये डीईओ जारी किया गया है। लेकिन इसमें से अब तक 30 प्रतिशत 50 धान का उठाव होने की बात कही जा रही है।

बीजापुर : बोटिंग के दौरान नदी में पलटी नाव, दो लड़कियों की मौत

जांगला थानाक्षेत्र का वाकया, मिंगाचल नदी किनारे पिकनिक मनाने गईं थीं दोनों

बीजापुर - नवप्रदेश। जिले के जांगला थाना क्षेत्र अंतर्गत मिंगाचल नदी में हादसा सामने आया है। मिंगाचल नदी किनारे पिकनिक मनाने गई दो लड़कियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बहरहाल, जांगला थाना पुलिस शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के नैमेड गांव के रहने वाले 20 युवतियों का जत्था पिकनिक मनाने के लिए मिंगाचल नदी किनारे गए हुए थे। लड़किया लकड़ी के बने नाव में सवार होकर नदी में घूम रहीं थीं। इसी दौरान नाव पलट गई और दोनों गहरे पानी में गिर गए। नदी में पानी ज्यादा होने के कारण लड़कियां बहार नहीं निकल पाई। जिसके चलते दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जांगला मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शव को बहार निकाल लिया है। वहीं पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इस हादसे की जानकारी विधायक विक्रम मंडावी मौके पर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया है।

इतावर-लेण्ड्रा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़

- **सामान छोड़ भागे नक्सली, सर्चिंग के दौरान मौके से बंदूक, वायरलेस सेट, डेटोनेटरर्स तथा नक्सली साहित्य बरामद**

बीजापुर - नवप्रदेश। जिले में चलाये जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत् थाना गंगालूर से डीआरजी, एसटीएफ एवं कोबरा की संयुक्त टीम, सावनार, कुरचोली, इतावर, लेण्ड्रा की ओर निकली थी। अभियान के दौरान 06 जनवरी 2021 को संयुक्त बल द्वारा इतावर और लेण्ड्रा के मध्य जंगलों में माओवादी कैम्प ध्वस्त किया गया। माओवादी कैम्प में सामान छोड़कर भाग खड़े हुये। मौके पर सर्चिंग से माओवादी कैम्प से 01 नग बंदूक, वायरलेस सेट, डेटोनेटर, टिफिन बम, माओवादी वर्दी, पोच, पिटठू माओवादी साहित्य, पटाखें, बर्तन, राशन सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद किया गया।

अंधे कत्ल की गुत्थी को लोहारा पुलिस ने सुलझाया

- **प्रेमी, प्रेमिका ने मिलकर दिया था घटना को अंजाम'**

नवप्रदेश संवाददाता

कवर्धा (नवप्रदेश)। ग्राम अचानकपुर मे बलदेव साहु के गेहु खेत मे अज्ञात युवक उम्र करीबन 20-22 वर्ष का शव संदिग्ध अवस्था मे मिलने की सूचना पर घटनास्थल ग्राम अचानकपुर जाकर मर्ग क्रमांक 03/2021 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच मे लिया गया घटनास्थल मे उपस्थित ग्रामवासियों एवं सोशल मिडिया, प्रेस एवं अन्य माध्यमो से अज्ञात मृतक युवक के पहचान का प्रयास किया गया जो मृतक ग्राम बम्हनी थाना कवर्धा निवासी गिरधर कौशिक पिता शिवलाल कौशिक उम्र 18 वर्ष का होना मृतक के परिजनो द्वारा पहचान कर बताया गया मर्ग जांच दौरान मृतक के शव का सीएचसी स0लोहारा से पोस्टमार्टम कराये जाने पर डॉक्टर साहब द्वारा मृतक की मृत्यु गला घोटकर हत्या करना रिपोर्ट में उल्लेखित किये जाने पर उक्त मामला हत्या का पाये जाने से थाना सहसपुर लोहारा में 02/2021 में धारा 302 भादवि कायम कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी किये जाने के मामले की गंभीरता को देखते हुए शलभ कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, अनिल कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं बी.आर. मण्डावी उप पुलिस अधीक्षक के मार्गनिर्देशन एवं दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी सहसपुर लोहारा निरीक्षक अनिल शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित किया जाकर घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों एवं मृतक गिरधर कौशिक के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर तथा आसपास के व्यक्तियो से पुछताछ में आये तथ्यों के आधार पर संदेही अनिल कौशिक एवं लक्ष्मी पाली से कड़ाई एवं बारिकी से पुछताछ करने पर घटना को अंजाम किया जाना स्वीकार किया तथा अनिल कौशिक ने बताया कि करीबन् 02 माह पूर्व मृतक गिरधर कौशिक को अपनी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। जो उक्त दिनांक के बाद से मृतक गिरधर कौशिक से आक्रोशित होकर बदला लेने के फिराक में था और अपनी प्रेमिका लक्ष्मी पाली को मृतक गिरधर कौशिक को प्रेमजाल में फंसाये जाने के लिए बोला। लक्ष्मी पाली द्वारा अपने प्रेमी अनिल कौशिक के द्वारा बनाये गये षड़यंत्र मुताबित मृतक गिरधर कौशिक को अपने प्रेमजाल में फंसाकर घटना दिनांक को मिलने के लिए ग्राम अचानकपुर में बलदेव साहू के खेत में बुलाया तथा लक्ष्मी पाली ने पल-पल की खबर अपने प्रेमी अनिल कौशिक को दी तथा अनिल कौशिक पहले से ही घटनास्थल के आसपास आकर मौजूद हो गया।

सचिव संघ ने हवन पूजन कर किया अनोखा प्रर्दशन

- **सरकार के समक्ष रखी एक सूत्रीय मांग**

डोंगरगढ़। लगभग 12 दिनों से प्रदेश निकाय सचीव संघ के आहवान पर यहा ब्लांक सचीव संघ अपनी एक सुत्रीय मांग को लेकर धरना मे बैठे है मांग को लेकर संघ के पदाधिकारीयो ने गुरूवार को एक अनोखा प्रर्दशन किया है इस बार प्रदेश निकाय संचीव संघ के आहवान पर ब्लांक सचीव संघ के पदाधिकारीयो ने एक सुत्रीय मांग सदबृद्वि देने के लिए हवन पुजन किया है संघ के ब्लांक अध्यक्ष राजाराम उइके ने बताया कि गत 25 सालो से अपनी विभिन्न मांगो का लेकर शासन - प्रशासन को अगवत कराते आए है किंतु आज पर्यन्त तक शासन द्वारा किसी प्रकार की सुविधाओ एंव अन्य लाभ नही दिया जा रहा है निकाय के आहवान पर एक सुत्रीय मांग दो वर्ष की सेवा अवधि प्रश्चात शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को ध्यानकार्षण कराने सरकार को सदबृद्वि देने हवन पुजन किया गया है जिसमें पूर्व नपा अध्यक्ष तरूण हत्थेल ने भी इस हवन पुजन में शामिल होकर ग्राम सचीवो की मांग का समर्थन किया है । इस अवसर पर सरक्षंक केदान सिन्हा, ब्लाक अध्यक्ष राजाराम उइके, उपाध्यक्ष मोहित चंदवंशी, सचीव नारायण देवागन, कोषाध्यक्ष अशोक वैष्णव, सह सचीव थानुराम बसोने, प्रवक्ता गेदलाल खोब्रागढे, नारद सोनवानी, घिरेंद्र धरमगुंड, हलधर यादव सहीत ससभी पंचायत सचीव उपस्थित थे।

नाबालिग से छेड़छाड़ आरोपी गिरफ्तार

पखांजूर(नव प्रदेश)। थाना पखांजूर क्षेत्र की नाबालिग पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी बापन बाला पिता तपन बाला पीड़िता का कुछ दिनों से बदनीयती से पीछा कर रहा है तथा दिनांक घटना 05/01/20 को शाम 04 बजे पीड़िता को अकेले पाकर पीड़िता की बेज्जती करने की नीयत पीड़िता का हाँथ पकड़ के सुनसान जगह के ओर लेजा रहा था पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 354 भादवि 12 पॉक्सो एक्ट अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ,पुलिस अधीक्षक कांकेर श्री एम आर आहिरे के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जी एन बघेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में थाना पखांजूर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आरोपी बापन बाल पिता तापस बाला उम्र 19 निवासी पिव्ही 31 थाना पखांजूर को आज दिनांक 06/01/21 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड जेल भेजा गया।थ

श्री पार्श्व प्रभु जन्म दीक्षा कल्याणक उत्सव संपन्न

नवप्रदेश संवाददाता

नगपुरा (दुर्ग)। विश्व प्रसिद्ध श्री उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ नगपुरा में 7 जनवरी से 9 जनवरी तक श्री पार्श्व प्रभु जन्म दीक्षा कल्याणक उत्सव सादगीपूर्ण आयोजित किया गया है। नगपुरा महोत्सव के नाम से विख्यात इस महोत्सव में देशभर के हजारों श्रद्धालुओं का आगमन होता है लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ट्रस्ट मंडल संक्षिप्त में पूजा अर्चना अभिषेक एवं भक्ति का ही आयोजना किए हैं।

आयोजना क्रम में आज श्री पार्श्व पद्मावती महापूजन की संरचना रायपुर निवासी श्री चंदनमल जी सुराना परिवार द्वारा किया गया। आज से मुम्बई, आलोट, केशकाल, खैरागढ़, कुर्दी, रायपुर, दुर्ग, गुण्डरदेही, राजनांदगाँव, भिलाई, अहमदाबाद आदि स्थान से आये आराधकगण अट्ठम तप (तीन दिवसीय उपवास) आराधना कर रहे हैं। दि. 8 जनवरी को तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक दिवस है कल प्रातः 8 बजे मेरूपर्वत पर स्नात्र महोत्सव, जन्माभिषेक, दोप. 12.30 बजे श्री 108 पार्श्वनाथ महापूजन तथा संध्या 7 बजे से भक्ति एवं समयानुसार श्री कुमारपाल महाराजा के साथ जन्म कल्याणक महाआरती आयोजित है। दि. 9 जनवरी श्री पार्श्व प्रभु दीक्षा कल्याणक दिवस को दोप. 12 बजे से श्री अट्ठारह अभिषेक महापूजन आयोजित किया गया है। महोत्सव आयोजना में श्रीमती सजनदेवी उगमचंद जी बागमार रायपुर, श्री हरीश जी कचरमल जी कोचर कांकेर , श्री पन्नालाल जीवनचंद गोलछा दुर्ग, श्री भीखमचंद जी प्रतिभादेवी कोठारी दुर्ग तथा श्रीमती शांतादेवी हरखचंद बोथरा परिवार सॉचोर (राजस्थान) हा.मु. मुम्बई ने सहभागिता निभाया है। विधिविधान कराने के लिए विधिकारक श्री अनिल हरण लिम्बडी तथा संगीतकार श्री धर्मेश जैन परभणी महापूजन संरचना एवं भक्ति संरचना करेंगे। महोत्सव की सफल आयोजना हेतु तीर्थ प्रतिष्ठाचार्य पू. आचार्य श्रीमद् विजय राजयश सूरीश्वर जी म.सा., पू. आचार्य श्रीमद् विजय रत्नयश सूरीश्वर जी म.सा. एवं युवा प्रतिबोधक पू. आचार्य श्रीमद् विजय वीतरागयश सूरीश्वर जी म.सा. ने मांगलिक संदेश प्रेषित किया है।

ट्रस्ट मंडल ने तीर्थ में पधारने वाले सभी महानुभाव का स्वागत करते हुए वर्तमान स्थिति को ध्यान रखकर सुरक्षा हेतु मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी के साथ पूजा अर्चना करने का अनुरोध प्रसारित किया है।